श्रीराम जन्मभूमि अभियान के बारे में

बार-बार पूछे जानेवाले सवाल

द्वारा

हिंदू विवेक केंद्र

जुलाई २०१६

प्रकाशक :
हिंदू विवेक केंद्र
पहिली मंजिल, यशवंत भवन, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
दिपक सिनेमा के पिछे, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३.
दूरध्वनी : ०२२-२४९१ १२२८
टेलिफॅक्स : ०२२-२४९१ ०८८३
ईमेल : hinduvivekkendra@gmail.com
वेबसाईट : www.hvk.org

अनुक्रम

प्रस्तावना १

बार-बार पूछे जानेवाले सवाल :

१. अयोध्या नगरी की विशेषता क्या है? ३
२. श्रीराम व्यक्ति थे या पौराणिक कथा का पात्र? ३
३. श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? ३
४. श्रीराम के ऊपर लोगों का विश्वास कितना पुराना है? ४
५. श्रीराम जन्मभूमि स्थान की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये पुरातत्व शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं क्या? ४
६. सन १५२८ में अयोध्या के श्रीराम मंदिर का विध्वंस किये जाने के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं क्या? ४
७. ये कैसे कहा जा सकता है कि अयोध्या के मंदिर बाबर ने नष्ट किए? ५
८. अयोध्या में मंदिर के भग्नावशेष पर जानबूझ कर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था क्या? ५
९. ऐसा कहा जाता है कि बाबर द्वारा किये गये विध्वंस कार्य के पीछे कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था बल्कि राजकीय उद्देश्य था। आपका क्या अभिप्राय है? ६
१०. राम चबूतरा और सीता की रसोई, इनकी विशेषता क्या है? ७
११. यदि श्रीराम जन्मभूमि का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण है, तो इसके पूर्व ही उसे प्राप्त क्यों नहीं किया गया? ७
१२. ई.स. १५२८ में मंदिर तोड़ा गया यह साबित करने के लिए कोई पुरातत्व शास्त्रीय सबूत है क्या? ७-८
१३. इस्लामी शासन के समय राम जन्मभूमि स्थान शांतिपूर्ण मार्ग से प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न हुए थे क्या? ८
१४. ब्रिटिश शासन काल में राम जन्मभूमि स्थान प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग से कोई प्रयत्न हुए थे क्या? ८-९
१५. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राम जन्मभूमि स्थान प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग से कोई प्रयत्न हुए थे क्या? ९
१६. ई.स. १५२८ में श्रीराम मंदिर तोड़ा गया था यह साबित करनेवाले सबूत भारत सरकार को दिये गये हैं क्या? ९-१०
१७. श्रीराम जन्मभूमि स्थान हिंदू समाज को वापस करने की माँग यह हजारों तोड़े गये

मंदिरों के स्थान वापस करने की माँग की शुरुवात तो नहीं है? १०-११
१८. श्रीराम जन्मभूमि स्थान से बाबरी ढांचा हटाकर किसी अन्य स्थान पर खड़ा करना संभवनीय था क्या? ११
१९. जन्मभूमि स्थान पर श्रीराम की प्रार्थना करने के लिए मंदिर आवश्यक है क्या? ११
२०. श्रीराम जन्मभूमि अभियान का मूल तत्त्व क्या है? ११-१२
२१. अयोध्या में मंदिर नष्ट हुआ नहीं ऐसा दावा करनेवाले लोगों का तर्क क्या है? १२
२२. श्रीराम जन्मभूमि अभियान यह राजनैतिक अभियान है क्या? १२-१३
२३. पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण करना यह राष्ट-ीय भावना की अभिव्यक्ति है। आपका अभिप्राय क्या है? १३
२४. मध्य युगीन काल में किया हुआ अन्यायी कृत्य ठीक करना क्या जरूरी है, जबकि पराजित लोगों के पवित्र स्थानों का विध्वंस करना यह उस समय का रिवाज था। १३-१४
२५. बाबरी ढांचा नष्ट करना इसका मतलब यह नहीं है क्या कि ''दो भूलों से एक सही बात'' यह संकल्पना मान्य करना। १४
२६. बाबरी ढांचा नष्ट करना इसका मतलब यह नहीं है क्या कि दूसरों द्वारा की हुई गलतियाँ तथा विध्वंस और विनाश के लिए आज के मुस्लिम समाज को मूल्य चुकाने के लिए बाध्य करना? १५
२७. श्रीराम जन्मभूमि अभियान से क्या देश का जातीय सामंजस्य का वातावरण बिगड़ गया है? १५
२८. श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर निर्माण करने के लिए विरोध करने वालों को ''बाबर की औलाद'' ऐसा क्यों कहा जाता है? १६
२९. श्रीराम मंदिर का निर्माण करने से सत्ता में स्थित सरकार से संघर्ष नहीं होगा क्या? ..१६
३०. यदि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो दुनियाभर में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की प्रतिक्रियात्मक मालिका शुरू नहीं होगी क्या? १६-१७
३१. यदि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया तो तेल निर्माण करनेवाले इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी? १७
३२. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण से भारत की कश्मीर स्थिति पर कुछ असर पड़ेगा क्या? १७
३३. हिंदू संस्थाओं को बिना वजह से मूल तत्त्ववादी कहा जाता है। क्या श्रीराम जन्मभूमि

पर मंदिर के निर्माण से इस दोषारोपण को पुष्टि नहीं मिलेगी? १७
३४. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लेने से अपने देश की सेक्युलर रचना हम नष्ट नहीं कर रहे हैं क्या? १८
३५. बाबरी ढांचा नष्ट करना यह हिंदुत्व की विशेषता ''सहनशीलता'' के खिलाफ नहीं है क्या? १८
३६. यदि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो जिन देशों में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत अधिक है, उन देशों में हिंदुओं की स्थिति क्या होगी? १८-१९
३७. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण होने से भारत में ईसाई लोग असुरक्षित नहीं होंगे क्या? १९
३८. ऐसा कहते हैं कि इस्लाम को मंदिर नष्ट करना मान्य नहीं है। आपका अभिप्राय क्या है? १९
३९. श्रीराम जन्मभूमि और सोमनाथ इनमें कोई तुलना कर सकता है क्या? २०
४०. क्या दुनिया के अन्य भागों में गुंडागर्दी करके नष्ट किये गये स्थान पुन:प्राप्त किये गये हैं? २०
४१. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण भाजपा के चुनाव परिणामों पर क्या असर डालेगा? २१
४२. आप बाबरी ढांचे के समीप मंदिर क्यों नहीं बनवाते जैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर तथा वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर हैं? २१
४३. श्रीराम जन्मभूमि अभियान के अलावा अन्य महत्त्व के विषय, समाज के द्वारा सुलझाने के लिए नहीं है क्या? २१-२२
४४. श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के अलावा, अन्य कुछ, जैसे पुस्तकालय क्यों नहीं बनवाते? इससे अधिक अच्छा जातीय सुसंवाद साध्य नहीं होगा क्या? २२
४५. गत कुछ वर्षों में बाबरी ढांचे का मुस्लिम समाज द्वारा भक्ति या आराधना के स्थान-स्वरूप उपयोग किया गया था क्या? २२
४६. हम लोगों को श्रीराम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है? जबकि वहाँ छोटा-सा मंदिर तो है ही? २३
४७. श्रीराम मंदिर की प्रथम शिला एक हरिजन व्यक्ति द्वारा रखी गई यह सत्य है क्या?...२३
★ **कुछ अधिक सवाल निम्नलिखित रूप से हैं: २४**
१. इ. स. १५२८ में रामजन्मभूमी पर खडा मंदिर उध्वस्त किया गया था और जहाँ हिंदू अब राममंदिर खडा करना चाहते हैं ठिक उसी स्थान पर इस्लाम के नाम पर एक स्तंभ खडा करना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव सामने रखा गया है। अगर सांप्रदायिक सद्भाव

साध्य होता है तो इस में क्या बुराई है? २४
२. सरकार रामजन्मभूमी के निकट की भूमी अधिग्रहण कर वह मुस्लिमों को सौंपनेवाली है ताकि वहाँ पर कोई इस्लामिक केंद्र का निर्माण हो सके, ऐसा कहा जाता है। इस बात पर आक्षेप लेनी क्या आवश्यकता है? २४
३. क्या सरकार श्री रामजन्मभूमी पर मंदिर निर्माण का मुद्दा सरकार पवित्र गंगा नदी के शुद्धिकरण प्रकल्प से जोडने की फिराक में है? २४
४. प्रत्येक राजनीतिक दल अपने लिए मुस्लिम वोटों को बटोरने के प्रयास में क्यों जी-जान से लगी हुई हैं? २५
५. व्हटिकन, मक्का ऐसे स्थानों पर अन्य धर्मियों के धार्मिक पूजा-प्रार्थना हेतु भवन निर्माण करने के बारे में क्या स्थिति है? २५
६. श्री रामजन्मभूमी पर इस्लाम के लिए स्तंभ बनाना अथवा उसके निकट कोई इस्लामिक केंद्र खडा करना यह बातें बाबर द्वारा की गए आक्रमण के साथ जोडकर ही क्यों देखी जाती हैं? २५
७. श्री रामजन्मभूमी मामले में हाल ही न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे जुडी परिस्थिति क्या है? २५
८. क्या न्यायालय में प्रलंबित मामले को लेकर राजनीतिक दल कोई हरकत कर सकता है?...२६

परिशिष्ट

१. ई.स. १५२८ में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट किया गया था यह साबित करनेवाले सबूतों का सारांश। २७
२. श्री विद्याधर नायपाल के श्रीराम जन्मभूमि अभियान पर विचार। ३२
३. न्यायिक निष्कर्षों का सारांश। ३८
४. श्री रामजन्मभूमी के बारे में बारबार पूछे जानेवाले प्रश्न - श्री रामजन्मभूमी आंदोलन का पक्ष कुछ इस तरह रखा जा सकता है। ४२

ग्रंथ सूची ४४

प्रस्तावना

अखबार और दूरदर्शन इन प्रसार माध्यमों पर जिनका नियंत्रण है उन लोगों से, हिंदुत्व की विशेषताओं को विकृत करने का सहेतुक प्रयत्न किया जाता है। श्रीराम जन्मभूमि अभियान भी इस कार्यक्रम के लिए अपवाद नहीं है। इस पुस्तिका में हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदू समाज के बहुसंख्य लोगों का श्रीराम जन्मभूमि अभियान के बारे में क्या दृष्टिकोण है।

अपनी संस्कृति और सभ्यता का मूलतत्त्व जिन महापुरुषों के कर्तृत्व के कारण बना है, ऐसे पुरुषों के महामंडल में श्रीराम यह एक अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्त्व है। श्रीराम यह अपनी एकात्मकता, एकीकरण, प्रामाणिकता तथा मूल्याधारित जीवन जीने की महत्त्वाकांक्षा के एकमेव प्रतीक है। सब लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम (सद्‌गुणों से भरपूर आदर्श व्यक्ति) मानकर उनकी पूजा करते हैं। हजारों वर्षों से उनको सत्य तथा निष्पक्ष आचरण का आदर्श माना गया है और आज भी राम राज्य की संकल्पना यह अच्छी सरकार की संकल्पना मानी जाती है।

रामायण एक अद्वितीय ग्रंथ है। गत ३००० वर्षों से अधिक काल से वह हिंदू संस्कृति का जीवित प्रमाणपत्र है। तथा हिंदू परंपराओं की जड़ उसमें है। वह हिंदू परंपराओं का अति महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज बना है तथा आज भी भारत में सामाजिक तथा राजनैतिक आचारों के लिए आदर्श माना जाता है। भारत में हर एक व्यक्ति श्रीराम की कथा जानता है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संस्कृति का भाग होने के लिए हर एक को श्रीराम कथा जाननी ही होगी।

श्रीराम जन्मभूमि अभियान यह केवल एक मंदिर निर्माण करने के लिए नहीं है, अपितु वह अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का पुनरुत्थान है। श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर बनने से लोगों के मन में यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जागृति पैदा होगी। वह मंदिर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा करने का एक स्थान तो रहेगा ही वह अपने महान भूतकाल का प्रतीक तथा भविष्य का मार्गदर्शक भी होगा।

अपने देश के बाहर से आये हुए इस्लामी आक्रमक बाबर ने ई.स. १५२८ में जानबूझकर श्रीराम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर नष्ट किया तथा उसके भग्नावशेष पर बाबरी ढांचा खड़ा किया। इस प्रकार गुंडागर्दी कर दूसरों के पवित्र स्थानों को नष्ट करने की घटनाएँ दुनिया में अनेक जगह हुई हैं। इस प्रकार बाबरी ढांचा अपने पराजय का स्मारक था। इसलिए वह धार्मिक नहीं पर राजनैतिक ढांचा था।

हिंदुओं ने श्रीराम जन्मभूमि के स्थान वापस लेने के लिए अनेक प्रामाणिक प्रयत्न शांतिपूर्ण मार्ग से किये हैं। विविध विधि पूर्ण मामलों (प्रथम सन १८८५ में) के अलावा, स्थान की पवित्रता सिद्ध करने के लिए तथा सन १५२८ में मंदिर नष्ट किये जाने के सबूत भारत सरकार को सन १९९०

इतने पूर्व दिये हैं। (सबूतों पर एक टिप्पणी परिशिष्ट - १ में दी है।) अप्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं से नहीं लेकिन जो लोग अभिमानपूर्वक 'सेक्युलॅरिझम' की बातें करते हैं उनके सब प्रयास निष्फल रहे। राजनैतिक नेताओं के बारे में इस प्रकार का आचरण समझ में आता है, लेकिन बुद्धिमान लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो वह खतरनाक होता है।

सन १८८५ में दायर किए हुए मामले के अलावा, स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात प्राय: शुरू में न्यायालयों में विधिवत मामले दर्ज किये थे। दुर्भाग्य से सब मामले अभी भी चल रहे हैं तथा उनका निर्णय कब मिलेगा यह दृष्टिपथ में नहीं है। ऐसे सब विधिपूर्ण मामलों की आज की स्थिति की जानकारी परिशिष्ट - २ में दी है।

ई.स. १५२८ में मंदिर नष्ट हो जाने के बाद, तुरंत ही श्रीराम जन्मभूमि स्थान वापस मिलने के लिए हिंदुओं ने भरसक प्रयत्न शुरू किये थे, श्रीराम जन्मभूमि अभियान, राष्ट- जीवन के केंद्रस्थान में १९८० के दशक के मध्य में आया। न्याय हिंदू भावनाओं का अनादर कर उनकी पूर्ति में बाधा डालने का वह परिणाम था। 'वोट बैंक' राजनीति तथा सेक्युलॅरिझम का दुरुपयोग, जिसमें हिंदू समाज के अभिप्राय केवल दुर्लक्षित किये गये, इतना ही नहीं तो वे कुचल दिये गये, इसकी प्रतिक्रिया भी थी। श्री. विद्याधर नायपाल ने इस अभियान का नैतिक मूल्य अच्छी प्रकार से समझ लिया है। परिशिष्ट - ३ में , भारतीय प्रसार माध्यमों को उन्होंने दिए हुए तीन साक्षात्कारों में से महत्त्वपूर्ण अंश दिये हुए हैं। इन साक्षात्कारों में से एक जून १९९३ का है।

हिंदुओं ने तीन पवित्र स्थानों को वापस करने की माँग की है, यह हिंदुओं पर विशेष कृपा नहीं है। यह न्याय माँग है। ये स्थान हिंदुओं से शक्ति के बल पर जबरदस्ती से, ऐसे लोगों ने छीन लिया था, जो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को कष्ट करना चाहते हैं।

यह पुस्तिका तैयार करने के लिए जिस पद्धति का स्वीकार किया हुआ है, उस पद्धति में साधारणत: ऐसा होता है, कुछ जवाबों में पुनरावृत्ति हुई है। यह इसलिए हुआ है कि हरेक जवाब अपने में ही परिपूर्ण होना चाहिए। मानते हैं, जवाब क्लिष्ट है, अर्थात यह भी पद्धति का लक्षण है। हमने यहाँ जो भी कहा है, उसके पीछे प्रमाणित साहित्य है जो आम जनता को उपलब्ध है। ग्रंथ और साहित्यिक लेख इनकी सूची परिशिष्ट - ४ में दी है, जो ऐसे लोगों को सुविधाजनक होगी, जो संबंधित विषयों का अधिक गहन अभ्यास करना चाहेंगे।

स्वातंत्र्य दिन, २००१

बार-बार पुछे जाने वाले सवाल

१. अयोध्या नगरी की विशेषता क्या है?

भारतांतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या नगरी स्थित है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हिंदुओं के लिए जो सात नगर पवित्र माने गये हैं, उनमें अयोध्या नगरी का विशेष महत्त्व है। ये सात नगर हैं :- ''अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काँची, अवंतिका, पुरी।

पुरी द्वारावतिचैव, सप्तैता मोक्ष दायिका:।।''

अयोध्या, मथुरा, माया (अर्थात हरिद्वार), काशी, काँची, अवंतिका (अर्थात उज्जैन) और पुरी द्वारावति (तथा द्वारका) ये सात नगर हिंदुओं के लिये तीर्थ क्षेत्र हैं और यहाँ से हिंदू लोग उनके महान संस्कृति तथा सभ्यता की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इन नगरों की यात्रा करने से मोक्ष तथा निर्वाण की प्राप्ति निश्चित होती है।

२. श्रीराम एक व्यक्ति थे या पौराणिक कथा का एक पात्र?

हिंदू परंपरा के अनुसार, श्रीराम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। चार युगों में से दूसरे, त्रेता युग में अधर्म का नाश करने के लिए उनका अवतार हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ के घर में उनका जन्म हुआ था। इसलिये वह पौराणिक कथा का पात्र नहीं है। भारत के कोने-कोने में , स्थान-स्थान पर, लोगों का ऐसा विश्वास है कि श्रीराम उनके स्थान पर आये थे। इसके प्रमाण भी जगह - जगह पर मिलते हैं।

श्रीराम आदर्श व्यक्ति होने का लोगों का विश्वास ३००० वर्षों से अधिक पुराना है। यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। श्रीराम को देश में सर्वत्र 'मर्यादा पुरुषोत्तम' माना जाता है। उसी प्रकार इंडोनेशिया जैसे स्थानों में, जहाँ हिंदू संस्कृति का प्रसार हुआ था, वहाँ भी यही मान्यता है। रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं से संबंधित स्थान पुरातत्व शास्त्र के आधार से सिद्ध होते हैं तथा श्रीराम से संबंधित विविध घटनाएँ जो आज भी लोगों के मन में परंपरा से जीवित हैं उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है।

३. श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है?

जिनका अनुकरण करना चाहिये ऐसे सब गुण विशेषों का मूर्त स्वरूप श्रीराम स्वयं थे। व्यक्ति इस नाते सब इष्ट गुण उनके अंदर थे, जिनको हर कोई विकसित करना चाहेगा। उदाहरण के लिये उन्होंने अपने पिता के द्वारा कैकेई को (पिता दशयथ की पत्नियों में से एक) दिया हुआ वचन

निभाने के लिये अपना राजपद का न्याय अधिकार छोड़ दिया और १४ वर्ष वनवास में जाना स्वीकार किया। कैकेई के पुत्र भरत को अयोध्या में वापस आकर अपना राज्य स्वीकारने की विनती करने के बाद भी, उन्होंने पिता की आज्ञा मानना, अपना धर्म माना। भरत ने श्रीराम की जगह राज्य का अधिकार स्वीकारने को नकार दिया तो भी अपना पुत्र धर्म पालन करना यह बात, अपना राजा बनने का जन्मसिद्ध अधिकार तथा अपनी जीवन की महत्त्वाकांक्षा उनसे भी श्रेष्ठ कर्तव्य है, यह बात श्रीराम भूले नहीं। ऐसा असीम त्याग तथा अन्य बहुत गुण विशेषों के कारण श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं।

४. श्रीराम पर लोगों का विश्वास कितना पुराना है?

पुरातत्व शास्त्र ने श्रीराम पर लोगों का विश्वास ३००० वर्षों से अधिक पुराना तथा लगातार होने की बात सिद्ध की है। फिर भी हिंदू साहित्य के अनुसार यह काल उससे भी अधिक है। यह काल भी इतिहास पर आधारित है, पौराणिक कल्पित कथा नहीं। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी, जो आधुनिक काल में 'मरिन आर्किऑलॉजिकल' परीक्षणों से प्रकट हुई है, वह हिंदू लोगों के सामूहिक स्मृति में सदैव रही है। दुनिया के विविध भागों में ऐसी अनेक घटनाएँ सत्य मान ली गई हैं, जो केवल परंपरा के आधार पर कही जाती हैं, तथा जो श्रीराम पर के विश्वास से भी आधुनिक है।

५. श्रीराम जन्मभूमि स्थान की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए कोई पुरातत्व शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध है क्या?

हाँ, ई.स. १९७५-८० में ''आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया'' के प्रा. बी. के. लाल के नेतृत्व में, एक सर्वे टीम ने, भारत के विविध भागों में, रामायण में वर्णित तथा निर्देशित स्थानों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, व्यापक उत्खनन किया। उसी अभियान में अयोध्या में उत्खनन किया। बाबरी ढांचे के पास दो स्थानों में उत्खनन हुआ। सर्वे टीम ने यह सप्रमाण कहा कि, श्रीराम जन्मभूमि पर, ईसवी सन पूर्व सातवें शताब्दि से, मंदिर स्थित था।

६. सन १५२८ में अयोध्या के श्रीराम मंदिर नष्ट किये जाने के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध है क्या?

हाँ, मुस्लिम रेकॉर्डस् मंदिर नष्ट करने की वस्तुस्थिति प्रमाणित करता है। ब्रिटिश शासन के पहले आये हुए यूरोपीय अभ्यासकों ने विनाश की घटनाओं का निर्देश किया है। पुरातत्व शास्त्रीय अभ्यासकों ने बाबरी ढांचा बनने के पहले वहाँ एक हवेली होने का दावा किया है। ब्रिटिश सरकार के 'लँड रेव्हेन्यू रेकॉर्ड' में राम जन्मभूमि स्थान जन्मस्थान के नाम से दिखाया है। सन १८८६ में दिये हुए एक न्यायालयीन निर्णय में लिखा है कि बाबरी ढांचा हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनाया था।

दिसंबर १९९० में विश्व हिंदू परिषद ने, ऊपर दी हुई जानकारी तथा अन्य अनेक घटनाएँ संकलित करके, भारत सरकार को सौंपी। उसकी एक प्रति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दी तथा विश्व हिंदू परिषद ने प्रकाशित की। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अथवा तथा कथित सेक्युलर इतिहासकारों में से किसी ने भी उन सबूतों का खंडन नहीं किया।

७. अयोध्या का श्रीराम मंदिर बाबर ने नष्ट किया, यह कैसे कहा जा सकता है?

इस्लामिक आक्रमणकारियों का, दुनियाभर में सब जगह, स्थानिक प्रार्थना स्थान नष्ट करना यह नियम-सा बना है। भारत और हिंदू इस नियम को अपवाद नहीं है। इस असभ्य प्रथा का अनुभव ले रहे हैं। इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि बाबर ने इस प्रथा के विपरीत वर्ताव किया होगा। यह बात उसकी दैनंदिनी बाबरनामा से समझ सकते हैं।

बाबर भारत में इस देश की केवल संपत्ति लूटने के लिए नहीं आया था। उसको धार्मिक प्रेरणा भी थी। अन्य इस्लामी आक्रामकों की प्रेरणा भी धार्मिक ही थी। बाबर की प्रेरणा, उसके कार्यकलाप तथा उसने अपनी बाबरनामा नाम की दैनंदिनी में जो लिखा है उससे यह स्पष्ट हो सकती है। वह कहता हैं :

''इस्लाम के लिए, मैं उजड़े स्थानों में भटका।
मूर्तिपूजक तथा हिंदुओं के साथ युद्ध करने की तैयारी की।
शहादत का मरण स्वीकारने का निश्चय किया।
अल्लाह को धन्यवाद, मैं गाझी बना।।''

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का नाश तथा तोड़-फोड पर बाबर ने स्वयं देखरेख की या नहीं यह कहना कठिन है क्योंकि बाबरनामा के, बाबर के अयोध्या में रहने या न रहने की जानकारी देनेवाले पन्ने नष्ट हुए हैं। लेकिन जो पन्ने उपलब्ध हैं उन पर से पता चलता है कि बाबर अयोध्या के मंदिर का नाश होने के थोड़े ही पहले अयोध्या के पास था और अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बन गई। उस ढांचे को बाबर का नाम दिया गया इस पर से भी सूचित होता है कि, श्रीराम का सम्मान करने के लिए जो मंदिर बना था उसको ई.स. १५२८ में नष्ट करने में इस इस्लामी आक्रमणकारी की भूमिका स्वयं बाहर रहते हुए भी प्रमुख थी।

८. अयोध्या में मंदिर के भग्नावशेष पर जान बूझकर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था क्या?

हाँ! आक्रमणकारी लोगों द्वारा नाश किये हुए स्थान के ऊपर ही दूसरा धार्मिक अथवा सेक्युलर ढांचा खड़ा करना यह मुस्लिम तथा क्रिश्चन दोनों ही आक्रमणकारियों की दुनिया भर

में प्रथा रही है। इस असभ्य प्रथा से हिंदू लोग भी बचे नही हैं। नये ढांचे का उद्देश्य ऐसा रहता है कि पराजित लोगों को यह स्मरण दिलाना कि आक्रमणकारी अब अधिकारी है, मालिक है। इसलिए ढांचा केवल राजनैतिक संदेश ही देता है। इसका अन्य कोई उद्देश्य बताना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिंदू लोगों की भावनाएँ कुचलने का कार्यक्रम जारी रखने का मार्ग खोजा जा रहा है। दोनों समाजों में मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करने का यह मार्ग नहीं। बाबरनामा का पर्शियन से अंग्रेजी में अनुवाद करनेवाली अनीता बीव्हरेज विशेष रूप से मंदिर के नाश की घटना का निर्देश करती हैं। वह कहती हैं कि बाबर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा तथा पवित्रता से प्रभावित हुआ था। वह ऐसे भी कहती हैं कि, महमूद का आज्ञाकारी अनुचर होने के कारण, बाबर मानता था कि मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करना यह उसका आज्ञापालन का तथा उचित कार्य था।

९. ऐसा कहा जाता है कि बाबर द्वारा किये हुए नाश कार्य के पीछे कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था अपितु केवल राजनैतिक था। आपका अभिप्राय क्या है?

किसी भी कार्य का अर्थ, वह कार्य किसने किया इस पर अवलंबित रहता है। बाबर ने अपने बाबरनामा में अपने बारे में जो लिखा है उस पर से यह स्पष्ट है कि, उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना भी था। उसका विजय होने के पश्चात उसने जो कार्य किये उससे भी उसका इरादा स्पष्ट होता है। शासक होने से उसके उद्देश्य पर राजकीय आवरण तो था ही। लेकिन इस्लाम में अधिकतम शासकों ने उनके धर्म का प्रसार करने के लिए ही सब प्रयत्न किये। दुनिया में सब जगह इसी प्रकार हुआ। हिंदुओं से जो व्यवहार हुआ वह अपवाद नहीं था।

यदि बाबर केवल एक राजनैतिक व्यक्ति होता तो उसके लिए एक तो हिंदुओं का मंदिर नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी तथा नष्ट किये हुए मंदिर के स्थान पर फिर भिन्न धर्म का प्रार्थना स्थल अथवा विजय चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। श्रीराम का आदर करने के लिए बना हुआ मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर बाबरी ढांचा खड़ा करना यह वस्तुस्थिति बाबर के कृत्य का धार्मिक उद्देश्य सिद्ध करती है।

मंदिर नष्ट करने की कृति धार्मिक उद्देश्य से हो अथवा राजनैतिक उद्देश्य से हो, जो बाबरी ढांचा मुस्लिमों का प्रार्थना स्थल होने का बताया जाता है, वह तो गुलामी का चिन्ह तथा हिंदुओं का अपमान का प्रतीक ही माना जायेगा। फिर भी वह ढांचा श्रीराम का मंदिर नष्ट कर उसी स्थान पर बनाया था इसलिये वह स्थान फिर से प्राप्त करना तो न्याय है ही। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाये हुए हजारों स्थान तो हिंदू वापस माँग नही रहे हैं, लेकिन सिर्फ तीन स्थान जो उसके परंपरा में अति पवित्र हैं उन्हीं को माँग रहे हैं।

१०. राम चबूतरा और सीता की रसोई, इनकी विशेषता क्या है?

अकबर के शासन काल में ये दोनों प्रतीकें बनाई गई थी। अर्थात ई.स. १५२८ में श्रीराम मंदिर का विनाश होने के बाद ५० वर्षों के अंदर। सीता की रसोई, उसके मूल स्थान पर बनाई गई थी। राम का चबूतरा जहाँ मंदिर का गर्भगृह था उससे थोड़ी दूर बनाया गया। हिंदुओं ने यह अन्य अच्छा पर्याय इसलिये स्वीकार किया, क्योंकि उनको जन्मस्थान पर अपना दावा न छोड़कर अपना अधिकार सिद्ध करना था। जहाँ श्रीराम का जन्म हुआ, उस स्थान से हिंदुओं का कितना लगाव है इसका यह लक्षण है। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, इससे जन्मस्थान के बारे में हिंदुओं की भावनाओं का वह आदर करता था, यह सिद्ध होता है।

राम चबूतरा बनने के बाद, वहाँ पर श्रीराम की पूजा और भजन लगातार किया जा रहा है। श्रीराम का जन्म दिवस राम नवमी के दिन मनाया जाने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। ई.स. १७०० से इनका आयोजन लगातार हो रहा है।

११. यदि श्रीराम जन्मस्थान इतना महत्त्वपूर्ण है तो इसके पहले ही उसे प्राप्त क्यों नहीं किया?

हजारों लोगों ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा करने के लिये, अपने प्राण समर्पण किये। आगे सन १५२८ में जन्मभूमि मंदिर नष्ट होने के बाद जन्मभूमि स्थान प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयत्न होते रहे हैं। इस्लामी शासन तुलनात्मक दृष्टि से प्रबल रहते भी हिंदू राजाओं ने वह स्थान मुक्त करने के लिये १९४७ के पहले अनेक प्रयत्न किये। श्रीराम जन्मभूमि स्थान इस्लामी बंधनों से मुक्त करने के लिये ऐसे कुल ७७ सशस्त्र प्रयत्नों की साक्ष इतिहास देता है। बाबरी ढांचा के सीमांतर्गत राम चबूतरा तथा सीता की रसोई इन स्थानों पर मंदिर बनाने की दृढ़ता से माँग करने में हिंदुओं का उद्देश्य श्रीराम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार सिद्ध करने का था। राम चबूतरा के सामने श्रीराम की पूजा और भजन लगातार जारी रहा है। वहाँ राम नवमी उत्सव मनाने की प्रथा इस्लामी शासन के समय भी जारी रही थी।

१२. ई.स. १५२८ में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा गया था, यह सिद्ध करने के लिये कोई पुरातत्व शास्त्रीय सबूत उपलब्ध है क्या?

हाँ, सन १९७५-८० के समय में पुरातत्व शास्त्रीय अभ्यास वाल्मीकी रामायण में वर्णित अनेक स्थानों पर किया गया। बाबरी ढांचे के पास दो गड्ढे खोदे गये थे। वहाँ तोड़े गये मंदिर के स्तंभों के आधार मिल गये। ये आधार पंक्तिबद्ध थे तथा वे बाबरी ढांचे के चौदह कसौटी स्तंभों के ही पंक्ति में थे। बाबरी ढांचे के कसौटी स्तंभों पर हिंदू पद्धति की बारहवीं शताब्दी की विशेष नक्काशी दिख रही थी। तोड़े गये मंदिर के स्तंभों का उपयोग बाबरी ढांचा बनाने के लिये किया गया था। इसी प्रकार की परिस्थितियों में तोड़े गये मंदिरों के कुछ भाग नया ढांचा बनाने में उपयोग में लाये जाते रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि बाबरी ढांचा मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर बनाया था। दुनिया भर में इस्लामी लोगों की यह स्थायी प्रथा है।

सन १५२८ में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का नाश हुआ, उस समय के आर्किफॅक्ट्स प्राप्त हुए। मंदिर के स्तंभों के आधार तथा बाबरी ढांचे के स्तंभ, एक ही पंक्ति में हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों का एक दूसरे से संबंध है।

बाबरी ढांचा नष्ट हुआ, उस समय मंदिर के अन्य अनेक पुरातात्विक कलात्मक नमूने प्राप्त हुए। उनमें एक महत्त्वपूर्ण पत्थर की पट्टिका थी। उसका आकार १-१० × ०.५० मीटर था। उसके ऊपर २० पंक्तियों में देवनागरी लिपी में खोदा हुआ लेख है। इसमें लिखा है कि इस स्थान पर विष्णु हरी का एक सुंदर मंदिर था।

१३. इस्लामी शासन के समय राम जन्मभूमि स्थान शांतिपूर्ण मार्ग से प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न हुए थे क्या?

इस्लामी शासन के समय शांतिपूर्ण मार्ग से श्रीराम जन्मभूमि स्थान हिंदुओं को वापस करना यह बाबरी ढांचा खड़ा करने का उद्देश्य ही पराभूत होने जैसा होता। इस्लाम अधिकार हिंदुओं के पवित्र तथा पूजनीय स्थानों पर भी चलता है और हिंदू अब गुलाम हैं, यह हिंदू लोग अच्छी तरह से समझे इसलिए सदा उनके सामने दृष्य स्वरूप में रहे इसी उद्देश्य से बाबरी ढांचा खड़ा किया था।

फिर भी हिंदुओं ने दृढ़ता से जन्मस्थान पर प्रतीकात्मक स्वरूप में अपना अस्तित्व रहे इसलिये प्रयत्न किये। राम चबूतरा तथा सीता की रसोई, बाबरी ढांचे के पास ही खड़ी करने की अनुज्ञा देना, यह हिंदुओं के श्रीराम जन्मभूमि स्थान से लगाव की भावनाओं को मान्यता देना ही था। ऐसी अनुज्ञा देना यह ऐसे ही शासक द्वारा संभव था, जिसको अपने दयालु होने का प्रचार करना था। हिंदुओं के लिए यह दूसरा अच्छा पर्याय मात्र था और यह मान्य करने का उद्देश्य था भविष्य में यह स्थान प्राप्त करने का अधिकार निश्चित करना।

किसी को यह वस्तुस्थिति भूलनी नहीं चाहिए कि मंदिर का नाश केवल बाबर ने ही किया था ऐसे नहीं। इस संबंध में औरंगजेब की प्रसिद्धि तो और राक्षसी है, इसलिए श्रीराम जन्मभूमि स्थान को पूर्णत: प्राप्त करने का प्रयत्न निरर्थक था।

१४. ब्रिटिश शासन काल में श्रीराम जन्मभूमि स्थान प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग से कोई प्रयत्न हुए थे क्या?

हाँ, हिंदू लोग अभी भी अपने मालिक नहीं थे। फिर भी न्यायालयीन प्रक्रिया का प्रयास करने का पर्याय उनको उपलब्ध था। यह मार्ग अपनाया गया तथा ई.स. १८८५ में मामला दाखिल किया गया।

ई.स. १८८६ में दिये गये निर्णय का महत्त्वपूर्ण भाग ऐसा था :- ''हिंदू लोग जिस स्थान को विशेष पवित्र मानते हैं, ऐसे स्थान पर मस्जिद खड़ी करना यह बात अत्यंत दुर्दैवी है। लेकिन यह घटना ३२६ वर्ष पूर्व घटी है, और यह अन्याय दूर करने के लिए बहुत देरी हुई है। सद्यस्थिति

कायम रखना इतना ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी बदल करने से फायदे के बजाय नुकसान तथा अव्यवस्था पैदा होगी।''

ऊपर दिया हुआ निर्णय सुयोग्य रीति से पढ़ने से स्पष्ट होगा कि हिंदुओं ने उस स्थान पर अपना अधिकार सिद्ध किया है। निर्णय का दूसरा भाग बताता है कि, ब्रिटिशों को हिंदुओं की भावनाओं से अपना संबंध जोड़ना आवश्यक लगा नहीं क्योंकि हिंदू अपने मालिक नहीं थे। कुछ बदल करने से जो नुकसान होता तो बसाहती मालिक का होता, हिंदू समाज का नहीं।

१५. स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद राम जन्मभूमि स्थान प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग से कोई प्रयत्न हुए थे क्या?

हाँ, क्योंकि न्यायालय के जरिये प्रयत्न करने का पर्याय अब फिर से उपलब्ध हुआ था, इसलिए न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये। दिसंबर १९४९ में जब रामलल्ला की मूर्ति बाबरी ढांचे में प्रकट हुई। तब से न्यायालय ने वहीं पर मूर्ति की पूजा करने की अनुज्ञा हिंदुओं को दी। ढांचे के जगह से मूर्ति हटाने का मुस्लिमों का दावा न्यायालय ने नामंजूर किया। मूर्ति से २०० फूट क्षेत्र में प्रवेश करने से मुस्लिमों को मना किया। फरवरी १९८६ में न्यायालय के आदेश से श्रीराम जन्मभूमि के ताले खोले गये और हिंदुओं को श्रीराम लल्ला की मूर्ति की पूजा करने के लिए पूर्ण प्रवेश तथा अनुमति दी गयी।

इसके अलावा, विश्व हिंदू परिषद सर्वश्री वि.प्र. सिंह, चंद्रशेखर तथा नरसिंहराव इनके प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार से आयोजित विविध चर्चा सत्रों में भाग लिया। अत्यंत संघटित तथा अच्छे तरीके से प्रमाणित लेख तैयार करके, श्री चंद्रशेखर के काल में प्रयास हुआ। हर प्रयास में चर्चाएँ निराशाजनक हुईं, प्रधानमंत्रियों ने चर्चा जारी रखना नामंजूर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके ''वोट बैंक राजनीति'' में बाधा पहुंचेगी। उनको अप्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं के विरुद्ध खड़े रहना पड़ता, इतना ही नहीं तो ऐसे राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिवादी लोगों के विरुद्ध भी खड़े रहना पड़ता जो सेक्युलॅरिझम के झंडे लेकर घूमते हैं।

जनसामान्य विचार करता कि गुलामी के स्मारक को समाज जीवन में स्थान नहीं, लेकिन इस देश में सेक्युलॅरिझम का अर्थ है, हिंदू भावनाओं का विचार नहीं करना, तर्कपूर्ण और न्याय सिद्ध काम होने में रोक लगाना।

१६. ई.स. १५२८ में श्रीराम मंदिर तोड़ा गया था यह साबित करनेवाले सबूत भारत सरकार को दिये गये हैं क्या?

ई.स. १९९० में जब चंद्रशेखर सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि स्थान के इतिहास पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की थी, उस समय वि.हि.प. ने लिखित निवेदन तथा प्रमाणिकता

सिद्ध करनेवाले सबूत दिये हुए थे। वि.हि.प. ने ये सब सबूत प्रकाशित किये हैं, तथा अनेक लोगों ने उसके बारें में लिखा है। इस प्रकार सभी लोगों को अभ्यास करने के लिए पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है।

वि.हि.प. ने भारत सरकार को दिये हुए निवेदन में साहित्य संबंधी, ऐतिहासिक, राजस्व के बारे में, न्यायालयीन तथा पुरातत्व विषयक सब जानकारी का अंतर्भाव था। इन सब सबूतों के द्वारा ई.स. १५२८ में श्रीराम मंदिर का जानबूझकर नाश किया गया था और उसी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था, यह हिंदुओं का दावा पूर्ण रूप से सिद्ध होता था।

भारत सरकार ने ये सब सबूत प्राप्त होने की पोहोंच पावती दी थी। चर्चा सत्र के अहवाल में संबंधित अंश इस प्रकार है। ''वि.हि.प. ने प्रत्युत्तर सादर किया। इसमें वि.हि.प. ने ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के दावे में से हर एक मुद्दे का खंडन किया है। ऑ. इ. बा. म. ॲ. क. ने, वि. हि. प. ने दिये हुए सबूतों के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त की नहीं है। उसके स्थान पर उन्होंने उनके दावे के समर्थन में कुछ फोटो प्रति सादर किया। बाबरी एक्शन कमिटी ने, वि.हि.प. ने सादर किए हुए सबूतों पर कोई भाष्य किया नहीं, इसलिए दोनों पक्षों में कौन से मुद्दे के बारे में सहमति प्राप्त हुई है तथा कौन से मुद्दे पर असहमति है यह निश्चित करना सरकार को संभव नहीं हुआ है।''

नरसिंहराव सरकार ने नरेंश चंद्र के नेतृत्व में 'अयोध्या सेल' नाम का एक सेल, जो सबूत पेश किये गये हैं, उनका मूल्य मापन करने के लिये बनाया। इस सेल के कामकाज का ब्योरा सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। अपने देश में सेक्युलॅरिझम की प्रथा प्रचलित होने से, यह सेल इसी निर्णय पर आया होगा कि ऐसा कहना ही सुरक्षित है कि इस ऐतिहासिक मामले में श्रीराम जन्मभूमि स्थान पूर्णत: हिंदुओं के हक में है।

१७. श्रीराम जन्मभूमि स्थान हिंदू समाज को वापस करने की माँग यह हजारों तोड़े गये मंदिरों के स्थान वापस करने की माँग की शुरुवात तो नहीं है?

नहीं, माँग पवित्र स्थानों में से सिर्फ तीन अति पवित्र स्थान प्राप्त करने की है। अन्य हजारों नाश किये हुए मंदिरों के स्थानों की नहीं। सरकार को दिए हुए लिखित निवेदन यह बात वि.हि.प. ने जनवरी १९९१ में स्पष्ट की है। इस निवेदन में वि.हि.प. ने कहा है ''जबरदस्ती से मंदिर तोड़कर जहाँ मस्जिद बनाई गयी है ऐसे हजारों स्थान भी हम वापस नहीं माँग रहे हैं। हमें सिर्फ तीन स्थान वापस चाहिए। तीन प्राचीन अति पवित्र स्थान। मुस्लिम समाज द्वारा अधिकृत मान्यता पत्र द्वारा सरकारी आज्ञा से प्राप्त करना हम चाहते हैं। मुस्लिम समाज को यह बात समझनी चाहिए कि हमारे इन पवित्र स्थानों पर बाबर और औरंगजेब जैसे हठधर्मी तथा अनेक लोगों की क्रूर हत्या करनेवालों ने प्राप्त किया हुआ अधिकार जारी रखने का उनका हठ, किस प्रकार का संदेश भेजता है। हम अपने मुस्लिम देश बांधवों को ऐसे आक्रमक जुलमी लोगों

के वंशज और अनुयायी नहीं मानते। अब उन पर निर्भर है कि वे ऐसी कृति करें जो उन्हें कष्टप्रद भूत काल से मुक्त करे।''

दस वर्ष पहले वि.हि.प.ने यह नि:संदिग्ध निवेदन, हिंदुओं के लिए जिनको विशेष महत्त्व है, ऐसे सिर्फ तीन अति पवित्र स्थान वापस करने के बारे में किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू बदला लेना चाहते नहीं हैं।

१८. श्रीराम जन्मभूमि स्थान से बाबरी ढांचा हटाकर अन्य किसी स्थान पर खड़ा करना संभवनीय था क्या?

यह पर्याय मुस्लिम समाज को बहुत पहले सुझाया गया था। अन्य धर्मियों की भावनाओं का आदर करने की हिंदुओं की विशेषता तथा विचार विमर्श करके प्रश्न को सुलझाने की उदारता इससे प्रकट होती है। हिंदुओं को मुस्लिम समाज से बदला लेने की इच्छा नहीं है, इसका वह स्पष्ट दर्शन था। यह दुर्भाग्य है कि मुस्लिम नेताओं ने यह प्रस्ताव नहीं स्वीकारा।

१९. श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर श्रीराम की प्रार्थना करने के लिए मंदिर की आवश्यकता है क्या?

मंदिर बनाने का जो प्रयत्न हो रहा है वह केवल पूजा पाठ करने के लिए एक और मंदिर नहीं है। वह मंदिर श्रीराम का जहाँ जन्म हुआ उस स्थान पर होनेवाला मंदिर है। ऐसे स्थान पर अन्य कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जिस महापुरुष का जन्म वहाँ हुआ, उसी का आदर करने के लिए मंदिर होना चाहिए। हम श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं तथा उनको हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक मानते हैं इसलिए यह बात विशेष महत्त्व की है। यह मंदिर हमें अपने तेजस्वी सभ्यता का स्मरण करा देगा तथा भविष्य में हमें क्या प्राप्त करना है उसकी भी याद दिला सकेगा।

२०. श्रीराम जन्मभूमि अभियान का मूल तत्त्व क्या है?

श्रीराम जन्मभूमि अभियान का मूल तत्त्व हिंदू समाज तथा संस्कृति का कायाकल्प करके उसके पुनर्युवीकरण करना है। वह केवल ईंटे और चूने का ढांचा खड़े करने का प्रश्न नहीं है। श्री. विद्याधर नायपाल ने यह भलीभांति स्पष्ट किया है। वह कहते हैं, ''जो भारत में हो रहा है वह नया ऐतिहासिक जागृति का प्रयत्न है।..... भारतीय बुद्धिवादी समाज, जिनको अपने आदर श्रद्धाओं पर दृढ़ रहना है, वे कदाचित क्या हो रहा है यह समझ नहीं पायेंगे, लेकिन हर अन्य भारतीय, क्या हो रहा है यह नि:संदेह समझता है। वह मन ही मन जानता है कि बढ़ता हुआ प्रतिसाद प्राप्त होता है। फिर भी कभी-कभी यह बढ़ता हुआ प्रतिसाद उसके मन में धोखे की शंका पैदा करता है।''

भारतीय समाज के सामान्य जनों का तथा दुनिया के अन्य जगह के हिंदू निवासियों का श्रीराम जन्मभूमि अभियान को बढ़ता हुआ प्रतिसाद देखकर यह स्पष्ट होता है कि श्रीराम हमारी सभ्यता में अति महत्त्व का स्थान रखते हैं, तथा वह समाज को एकत्रित रखनेवाली प्रमुख शक्ति हैं। समाज का ऐसा कोई हिस्सा नहीं तथा देश का ऐसा कोई भाग नहीं जहाँ श्रीराम के लिए आकर्षण नहीं है। दूसरों को समझने का तथा दूसरों के भावनाओं में शामिल होने का यह गुण केवल जहाँ हिंदू लोग स्थायिक हुए हैं ऐसे दुनिया के भाग में ही प्रदर्शित होता है। ऐसा नहीं अपितु इंडोनेशिया जैसे स्थान पर जहाँ लोगों ने हिंदू संस्कृति को स्वीकार किया है ऐसे स्थानों में भी होता है।

२१. अयोध्या में मंदिर नष्ट हुआ ही नहीं ऐसा दावा करने वालों का तर्क क्या है?

परिस्थिति की अवश्यकतानुसार तर्क बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अंतिम उद्देश्य यह है कि भ्रम उत्पन्न करना और उसे कायम रखना। प्रथम श्रीराम की ऐतिहासिकता ही नकारी गई। जब उसे सम्मति मिल गयी तो श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने की संकल्पना को नकारा गया। परिणामत: ऐसा कहा गया कि श्रीराम एक साधारण व्यक्ति थे, और उनको कोई विशेष महत्त्व देने से इन्कार किया गया। जब यह भी स्वीकार हुआ तब कहने लगे कि श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं। जब इसको भी मान लिया गया तब कहने लगे कि श्रीराम का जन्म जहाँ हुआ वह अयोध्या आज की अयोध्या नहीं है। जब इसको भी मान लिया गया तो कहने लगे कि, श्रीराम का जन्म उस स्थान पर नहीं हुआ जहाँ हिंदुओं की परंपरा से ३००० वर्षों से अधिक काल से मान्यता है। और ऐसे ही आगे.....।

तात्पर्य, कृति योजना ऐसी है कि श्रीराम जन्मभूमि स्थान अमान्य करना। इस योजना का आगे का भाग ऐसा है कि श्री चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में जो चर्चा सत्र हुआ तथा वि.हि.प. ने जो अनेक सबूत सादर किये, उनसे यह बात सिद्ध होती थी कि सन १५२८ में मंदिर तोड़ा गया और उसी स्थान पर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, इस बात को नकारना, प्रसार माध्यमों पर अंकुश रखना और चर्चा द्वारा समस्या हल करने के प्रयत्न चल रहे हैं उनको प्रसिद्ध नहीं होने देना। क्योंकि उसके साथ यह भी प्रसिद्ध होगा कि ये सब प्रयत्न जिनका मंदिर निर्माण को विरोध है, उनके कारण विफल हुए।

२२. श्रीराम जन्मभूमि अभियान राजनैतिक आंदोलन है क्या?

नहीं, हिंदुओं के लिये श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनाना यह केवल ईटें और चूने का एक ढांचा मात्र नहीं है। वह हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का तथा पहचान का मुद्दा है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को सर्वोच्च महत्त्व का स्थान है। यह अभियान हिंदुओं के मूल्यों की तथा सामूहिक जागृति की अभिव्यक्ति है, जो कि सोमनाथ मंदिर के बारे में भी श्री. के. एम. मुनशीजी ने स्पष्ट की थी। ''इस मंदिर के बारे में हिंदुओं की भावनाएं बलवान तथा विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं।

सद्यः स्थिति में केवल अस्थायी मंदिर की पुन: स्थापना होने से अथवा उसका अस्तित्व काल बढ़ाने से इन भावनाओं का समाधान नहीं होगा। मूर्ति की पुन: स्थापना यह हिंदू समाज के स्वाभिमान का तथा श्रद्धा का प्रश्न है।'' इसलिए श्रीराम जन्मभूति अभियान हिंदुओं के लिए, राजनैतिक आंदोलन नहीं है।

जो लोग यह प्रश्न राजनैतिक मुद्दा बनाने का प्रयत्न करते हैं वे श्रीराम का महत्त्व कम कर रहे हैं। बाबरी ढांचे को ''गुलामी का स्मारक'' इसके अलावा अन्य अर्थ जोड़ते हैं तो मुद्दा राजनैतिक बनता है। हिंदुओं का उनके पवित्र स्थानों पर न्याय अधिकार मान्य न करने से ही प्रश्न का राजनैतिकीकरण होता है।

२३. पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि, राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर खड़ा करना यह राष्ट-ीय भावना की अभिव्यक्ति है। आपका अभिप्राय क्या है?

अटलजी ने जो कहा वह दुनिया भर का हिंदू समाज गत अनेक वर्षों से कह रहा है। हिंदुओं का उस स्थान से गहरा लगाव है, जहाँ श्रीराम का जन्म हुआ। बाबरी ढांचा गुलामी का स्मारक है। कोई भी स्वाभिमानी स्वतंत्र राष्ट-, जो प्राचीन गत वैभव फिर से प्राप्त करना चाहता है, अपने भूमि पर इस प्रकार का ढांचा सहन कर नहीं सकता। इतना ही नहीं जब अटलजी, ६ दिसंबर १९९२ की घटनाएँ घटने के पीछे की परिस्थिति का समर्थन करने के लिये भाषण कर रहे थे, उस समय भी वही भावनाएँ प्रदर्शित की थी। जो भी अटलजी ने अभी-अभी कहा, वह उन्होंने पहले भी कहा था।

२४. मध्य युगीन काल में किया हुआ अन्यायी कृत्य ठीक करना, क्या जरूरी है, जबकि पराजित लोगों के पवित्र स्थानों का नाश करना उस समय की आम बात थी?

मध्य युगीन काल में किया गया अन्याय ठीक करना इसे गलत नहीं कहा जा सकता। भारतीय समाज ने अपने स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, अनेक बार हिंसक मार्ग भी अपनाना पड़ा था। दो शतकों तक जिन विदेशी शासकों ने अपना सिक्का जमा लिया था, उन्होंने किया हुआ अन्याय यदि दुरुस्त नहीं करना था, तो हम लोगों ने प्रयत्न करके, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना भी जरूरी नहीं था।

मध्य युगीन अन्यायों को दुरुस्त करने के लिए जो तरीका अपनाया है, वह भी महत्त्व का है। स्पेन में क्रिश्चन लोगों ने जैसा किया, वैसा कुछ भी हिंदुओं ने नहीं किया। दसवीं शताब्दी में उन्होंने मूर लोगों को बाहर खदेड़ दिया, जिन्होंने ४०० वर्ष पहले स्पेन को जीता था। मूर लोगों ने स्पेन को जबरदस्ती से इस्लामी बनाया था जब उन्होंने जीत हासिल की थी। क्रिश्चन लोगों ने जब मूर लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया तब उन्होंने भी स्पेन का जबरदस्ती से पुन: क्रिश्चनीकरण किया।

जब-जब हिंदुओं ने इस्लामी शासकों को पराजित किया तब जो लोग जबरदस्ती के कारण अथवा प्रलोभन से इस्लामी बन गये थे उनके बारे में सौम्य भूमिका ली। छत्रपति शिवराय तथा मराठा शासक, हिंदुओं की इस सहनशीलता के उदाहरण हैं।

श्रीराम जन्मभूमि के बारे में हिंदुओं ने शांततापूर्ण मार्ग से स्थान वापस प्राप्त करने के लिये, चर्चाओं के द्वारा तथा न्यायिक प्रक्रिया से प्रामाणिक प्रयत्न किये। ये सब प्रयत्न विफल हुए इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं।

अंत में यदि मध्य युग में किया हुआ असभ्य व्यवहार, यह उस समय की आम बात थी, तो मध्य युग में किये हुए अन्याय ठीक करना यह अधिक आवश्यक बनता है। भविष्य कालीन पीढ़ियों को बताने का यह उत्तम मार्ग है कि ऐसा असभ्य व्यवहार मान्य करना उचित नहीं तथा पुन: नहीं होना चाहिए।

२५. बाबरी ढांचा नष्ट करना इसका यह मतलब नहीं है क्योंकि ''दो भूलों से एक सही बात'' यह संकल्पना मान्य करना।

''दो भूलों की संकल्पना'' केवल उन्हीं भूलों को लागू होती है, जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिये ''हिंदुओं के धार्मिक स्थान के नाश की प्रतिक्रिया अन्य स्थान के मुस्लिम धार्मिक स्थान के नाश के रूप में व्यक्त करना'' यहाँ दो भूलों की संकल्पना लागू होती है। उसी तरह यदि भूल सुधारने के लिये असभ्य तरीका अपनाया गया, तो यह संकल्पना लागू होगी। हिंदुओं के तीन अति पवित्र स्थान - श्रीराम जन्मभूमि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर - प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग से प्रयत्न करना, यह सिद्ध करता है कि इन लक्षणों में से एक भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता।

ई. स. १५२८ में, श्रीराम के सम्मान में बना हुआ मंदिर, जो कि अस्तित्व था, नष्ट किया गया। इसलिये जो प्रयत्न हो रहा है, वह मात्र इतना ही है कि, एक ऐतिहासिक भूल सुधारी जाय जिससे हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी क्षति पहुँची है। हिंदू समाज की वास्तव मन:स्थिति के अनुसार प्रथम चर्चाओं द्वारा कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न हुआ। शुरू से ही यह स्पष्ट किया गया कि हिंदू सिर्फ तीन अति पवित्र स्थानों की माँग कर रहे हैं। अन्य हजारों स्थानों पर नष्ट किये हुए मंदिरों को नहीं। शांतता के मार्ग से किये हुए सब प्रयत्न विफल हुए जिसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं था। इसके कारण ६ दिसंबर १९९२ की घटना घटी।

यदि यह बात गलत मान ली गई तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि श्रीकृष्ण भी गलत थे जब उन्होंने अर्जुन को न्याय युद्ध करने की सलाह दी। ऐसा युद्ध जिसमें अर्जुन को अपने चचेरे भाई कौरवों को मारना था तथा अपने बड़ों को, शिक्षकों को तथा अन्यों को जिन्होंने उसके बाल्य काल में उसकी देखभाल की थी मारना था।

२६. बाबरी ढांचा नष्ट करने का मतलब यह नहीं है क्या कि दूसरे लोगों ने विनाश और विध्वंस से मंदिर नष्ट किया। जिसका मूल्य चुकाने के लिये आज के मुसलमानों को बाध्य करना।

वास्तविक विचारणीय प्रश्न यह है कि आज के मुस्लिम लोग बाबरी ढांचे को कैसे देखते हैं, वे उस ढांचे को अपना पवित्र स्थान मानते हैं क्या? यदि उनका उत्तर हाँ ऐसा है, तो वे बाबर तथा उसके जैसे अन्य अत्याचारी लोगों के असभ्य कृत्यों को अपना मानना बंद करते हैं। मुस्लिम लोगों के लिये योग्य मार्ग यह होगा कि वे अपने को भूतकाल में जिन्होंने ऐसे नाश करने के कार्य किये, उनसे दूर रहें न हि उनसे अपना संबंध जोड़े। जब जर्मन लोगों को हिटलर के अपराधों के लिए क्षमा याचना करने के लिये कहा गया, तो उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वे हिटलर का नाझीझम स्वीकारते नहीं।

जबरदस्ती से छीने गये तीन अति पवित्र स्थान चर्चाएँ तथा न्यायालयों के माध्यम से शांतता से वापस करने की हिंदुओं की माँग है। हिंदू लोग अन्य हजारों स्थान, जहाँ पर भी ऐसी ही जबरदस्ती कर के मंदिर भ्रष्ट कर वहाँ मस्जिदें बनवाई गयी हैं, वापस नहीं माँग रहे हैं। वैसे ही नुकसान की क्षति पूर्ति करने की भी किसी प्रकार की माँग हिंदुओं ने की नहीं है। पूर्वस्थिति प्राप्त कर देने की भी माँग नहीं है। फिर आज के मुस्लिम लोगों को इतिहास में जिन्होंने मंदिरों का नाश किया, उनकी गलतियों का मूल्य चुकाने की समस्या कहाँ आती है?

२७. श्रीराम जन्मभूमि अभियान से क्या देश का जातीय सामंजस्य का वातावरण बिगड़ गया है?

अपने देश में जातीय सामंजस्य का वातावरण नष्ट होने का एक प्रदीर्घ तथा दुःखद इतिहास है। उसका राम जन्म भूमि अभियान से कोई संबंध नहीं है। श्रीराम जन्मभूमि अभियान के संबंध में हवा देने का काम तब हुआ जब मुस्लिमों को कहा गया कि बाबरी ढांचा यह उनका धार्मिक स्थान है। उनको इस स्थान का सत्य इतिहास नहीं कहा गया। वे नहीं जानते कि बाबरी ढांचा यह राजनैतिक स्मारक है। वह हिंदुओं के गुलामी का प्रतीक है। मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का कार्यक्रम उनके अप्रसिद्ध नेताओं द्वारा होता है ऐसे ही नहीं तो उन्हीं के द्वारा भी होता है जो उनके विश्वसनीय नेता कहलाते हैं। ये दूसरे प्रकार के नेता अपनी ऐसी प्रतिमा लोगों के सामने खड़ी करते हैं जैसे कि वे ही मुस्लिमों के रक्षणकर्ता तथा हितैषी हैं। लेकिन सत्य यह है कि वे सदा के लिये मुस्लिमों को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। यदि प्रश्न को सुलझाना है तो देश का जातीय वातावरण सदा तनावग्रस्त रहने के सच्चे कारण का शोध लेना चाहिए।

२८.श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को विरोध करनेवालों को बाबर की औलाद क्यों कहा जाता है?

किसी भी व्यक्ति को प्रथम यह निश्चित करना चाहिए कि बाबरी ढांचे के बारे में उनका दृष्टिकोण कैसा है। श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को विरोध करने वालों में से कुछ लोग सोचते हैं कि बाबरी ढांचा यह मुस्लिम लोगों का प्रार्थना स्थल था और कुछ लोग सोचते हैं कि वह हमारे सेक्युलर परंपरा का स्मारक है। बाबरी ढांचा हमारे गुलामी का दृष्य प्रतीक था। इसके विपरीत जो भी अन्य स्पष्टीकरण देनेवाले लोग स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं कि हिंदू लोगों को यह कहा जा रहा है कि पराजित समाज होने से विजेता बाबर की उनका अपमान करने की इच्छा थी यह बार बार ध्यान में रखना चाहिए।

श्रीराम के सम्मान के लिए बनाया हुआ मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर बाबरी ढांचा बनाया गया था। इसलिए जो लोग मंदिर का पुनर्निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं, वे एक विदेश से आया हुआ आक्रमक तथा जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अपमान करने के लिए मंदिर का नाश किया, उस बाबर की याद मन में कायम रखना चाहते हैं। इसी विचार से मंदिर बनाने का विरोध करनेवालों को बाबर की औलाद कहा जाता है।

२९. श्रीराम के सम्मान में मंदिर बनाने से सत्ता स्थित सरकार से संघर्ष निर्माण होगा क्या?

श्रीराम के सम्मान में मंदिर बनवाने की माँग का महत्त्व क्या है, इसका निर्णय पहले करना चाहिए। मंदिर बनाने का समर्थन ऐतिहासिक, साहित्य संबंधी, राजस्व के बारे में, पुरातत्व विषयक तथ्यों के आधार पर किया गया है। हिंदुओं ने प्रामाणिकता से चर्चाओं के द्वारा समाधान खोजने के लिए बारबार प्रयत्न किये। ये सब प्रयत्न विफल हुए। इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं था। सब संबंधित तथ्य समाज की जानकारी में है।

इसीलिए प्राप्त परिस्थिति में तथा मंदिर निर्माण की माँग को योग्य महत्त्व देने से, हमको नहीं लगता कि किसी पक्ष से संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होगी। जो लोग संघर्ष की इच्छा करते हैं वे हिंदुओं की अपने पवित्र स्थानों के बारे में प्रबल भावनाओं को समझने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए इस स्थिति के बारें में भी हिंदुओं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है।

३०. यदि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो दुनिया भर में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की प्रतिक्रियात्मक मालिका शुरू नहीं होगी क्या?

श्रीराम जन्मभूमि का अभियान केंद्रस्थान में आने के पहले ही पाकिस्तान, बंग्लादेश और भारत में भी हिंदू मंदिरों का विनाश हुआ है। 'लज्जा' उपन्यास में बंग्लादेश में हिंदुओं पर स्वातंत्र्य प्राप्ति के समय से ही हो रहे अत्याचारों का वर्णन आया है। सन १९८६ में काश्मीर में अनेक हिंदू

मंदिरों पर दहशतवादी कार्यक्रमों के प्रारंभ के काल में हमले हुए। तथा कुछ मंदिरों का नाश किया गया।

जहाँ तक श्रीराम जन्मभूमि अभियान का प्रश्न है, यह विचार करना चाहिए कि हिंदुओं का उस स्थान पर अधिकार है या नहीं। जबकि हिंदुओं का न्याय अधिकार सिद्ध हुआ है, तब हिंदुओं के लिये यह आवश्यक है कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वैसे अन्य लोगों के लिये भी यह आवश्यक है कि वे भी इस संदर्भ में अपना दृष्टिकोण निश्चित करें। यह भी कहना चाहिए कि हिंदुओं ने प्रश्न का समाधान चर्चा द्वारा खोजने के प्रामाणिक प्रयत्न किये जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण असफल हुए।

३१. यदि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो, तेल निर्माण करनेवाले इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी?

मुख्य मुद्दा यह है कि, हिंदुओं को उस स्थान पर न्याय अधिकार है या नहीं? केवल हिंदुओं को ही नहीं तो संपूर्ण भारतीय समाज ने यह काम हाथ में लेकर सब दुनिया को इस प्रश्न के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हिंदुओं की स्थिति होशियारी से पूरी दुनिया को बताने से दुनिया के किसी भी भाग से प्रतिकूल प्रतिक्रिया की संभावना नहीं है।

३२. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण होने से भारत की कश्मीर स्थिति पर कुछ असर पड़ेगा क्या?

इन दो प्रश्नों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कश्मीर का प्रश्न यह ''दो राष्ट- की संकल्पना'' का परिणाम है, जिसके जरिये अपने देश का विभाजन हुआ। इसलिए कश्मीर प्रश्न यह श्रीराम जन्मभूमि अभियान के पहले से है।

श्रीराम जन्मभूमि अभियान यह इस देश के मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं है। लेकिन वह हिंदुत्व के पुनर्युवीकरण के लिए है। हिंदुत्व की परंपरा यह सब भारतीय नागरिकों की है। आज के भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज, जो जबरदस्ती से अथवा प्रलोभन से धर्मांतरित हुए थे, वे श्रीराम की पूजा उसी श्रद्धा से करते थे जिस प्रकार से धर्मांतरित नहीं हुए थे ऐसे लोग करते थे।

३३. हिंदू संस्थाओं को बिना वजह से मूलतत्त्ववादी कहा जाता है। क्या श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण से इस दोषारोपण को पुष्टि नहीं मिलेगी?

बिना वजह से मूलतत्त्ववादी कहना यह राजनैतिक कार्यक्रम है। वह सत्य पर आधारित नहीं है। अन्य विचारधारा सहन करने की हिंदुओं की नैतिकता तथा अन्य आदर्शों का विचार करेंगे तो उनको कभी भी होने का दोष नहीं दिया जा सकता। श्रीराम जन्मभूमि अभियान हिंदू संस्कृति का पुनर्युवीकरण करने के लिये है। वह किसी के विरोध में नहीं है। अत: हिंदू संस्थाओं पर लगा हुआ मूलतत्त्ववादी होने का दोषारोपण जैसा गलत है वैसा ही श्रीराम जन्मभूमि अभियान को लेकर उसी दोषारोपण से रंगाना भी उतना ही गलत होगा।

३४. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लेने से अपने देश की सेक्युलर रचना हमलोग नष्ट नहीं कर रहे हैं क्या?

नहीं, श्रीराम जन्मभूमि अभियान समाज के किसी भी अंश के विरुद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को पुनर्युवा करना है, तथा उसको तेजस्वी भूतकाल दिखाकर, भविष्य में क्या प्राप्त किया जा सकता है उसकी प्रेरणा देना है। हिंदू समाज का विचार करना इसका अर्थ अन्य किसी के विरुद्ध होना नहीं होता।

फिर भी भारत में सेक्युलॅरिझम का व्यवहार, श्रीराम जन्मभूमि का इतिहास समाज से विशेषत: मुस्लिम समाज से छिपाने का है। इस व्यवहार में वोट बैंक के राजनैतिक खेल में मुस्लिम समाज के अप्रसिद्ध नेताओं को मनाने का हो रहा है। इस व्यवहार को श्रीराम जन्मभूमि अभियान मध्यवर्ती स्थान में आने के पहले का इतिहास है। राष्ट- की सेक्युलर रचना को ठीक करने के लिए, इस प्रश्न को योग्य दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए।

३५. बाबरी ढांचा नष्ट करना यह बात हिंदुत्व की विशेषता 'सहनशीलता' के खिलाफ नहीं है क्या?

नहीं, प्रथमत: वह स्थान हिंदुओं का है। दूसरे, बाबरी ढांचा जो वहाँ खड़ा था वह प्रार्थना स्थल नहीं माना जा सकता। वह तो राजकीय स्मारक था जो हिंदुओं को स्मरण दिलाने के लिए खड़ा किया था कि वे पराजित हुए हैं। तथा अब वे गुलाम हैं। तीसरे, हिंदुओं ने समस्या का समाधान खोजने के लिए अनेक बार चर्चाओं द्वारा शांतिमय मार्ग से प्रयत्न किये थे। वास्तव में स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद वह ढांचा मंदिर के जैसा ही उपयोग में आता था। ६ दिसंबर १९९२ को जो कुछ हुआ, वह जो न्यायत: हिंदुओं के हक का था, वह उन्हें नकारने से प्राप्त नैराश्य की अभिव्यक्ति थी।

और इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह भी देखना जरूरी है कि सहनशीलता का सही अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि हर कोई मान ले कि दूसरे व्यक्ति का भी मोक्ष अथवा उद्धार का अपना एक मार्ग है। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे किसी को हानि पहुंचाए और वह उसे चुपचाप सहन करे। वह तो कायरता होगी।

३६. यदि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो जिन देशों में मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ के हिंदुओं की स्थिति क्या होगी?

हिंदू लोग सर्वदा अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे हैं। फिर वे बहु संख्या में हों अथवा अल्पसंख्या में। इतिहास साक्षी है कि दुनिया के किसी भी देश में जहाँ वे रहे हिंदुओं ने कभी समस्या निर्माण नहीं की है। इंडोनेशिया में बाली के हिंदुओं ने कभी भी स्वातंत्र्य की अथवा विशेष अधिकारों की माँग नहीं की है। जबकि पूर्व टिमोर में क्रिश्चन लोगों ने की है।

हिंदुओं के न्याय अधिकार मान्य कर के श्रीराम जन्मभूमि स्थान हिंदुओं को वापस देने से कोई कारण नहीं दिखता कि, अन्य देशों में हिंदुओं को उपद्रव होगा जहाँ वे अल्पसंख्या में हैं।

पाकिस्तान तथा बंग्लादेश में, जहाँ उनको उपद्रव होता है, वहाँ कारणों के लिए श्रीराम जन्मभूमि अभियान की आवश्यकता नहीं। यह अभियान महत्त्व की भूमिका में आने के पहले से ही वहाँ हिंदुओं को उपद्रव होता रहा है।

३७. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण से क्रिश्चन समाज में असुरक्षितता का भाव पैदा होगा क्या?

नहीं, यह बात ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि वि.हि.प. ने जनवरी १९९१ में ही एक लिखित निवेदन में कहा है कि ''हम सिर्फ तीन अति पवित्र स्थान वापस माँग रहे हैं। जो जबरदस्ती से छीन लिए गये हैं। जो हजारों मंदिर इसी प्रकार से जबरदस्ती से तोड़े गये हैं, उनको हम वापस नहीं माँग रहे हैं जो मुस्लिम तथा क्रिश्चन आतंकियों ने मस्जिद तथा चर्च में परिवर्तित किये हैं। गोवा में अनेक मंदिर तोड़कर वहाँ चर्च बनाये गये हैं। हिंदुओं ने इन स्थानों को वापस करने की माँग की नहीं है। अत: हमें कोई कारण नहीं दिखता कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनने से क्रिश्चन लोगों के मन में असुरक्षितता की भावना पैदा होगी।''

३८. ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम को मंदिर तोड़ना मंजूर नहीं है। आपका अभिप्राय क्या है?

इस सवाल का जबाब मुस्लिम धर्माधिकारी (इमाम) क्या कहते उस आधार पर खोजना चाहिए। यदि १४०० वर्षों के इस्लामी इतिहास को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से, अन्य मजहबों के पवित्र स्थानों का नाश तथा पराजित लोगों की संस्कृति को तुच्छ समझने का एक सा नमूना देखने को मिलेगा। यह बात सब जगह घटी है जहाँ इस्लाम जबरदस्ती से गया है। मक्का में प्रेषित महंमूद ने स्वयं काबा का एक काला पत्थर छोड़कर सब मूर्तियों को नष्ट करने के आदेश दिये थे। अरबी लोक देवियों की पूजा करते थे। उनको महंमूद ने नकारा। प्रेषित ने घोषणा की कि सच्ची श्रद्धा इकलस होगी जो संपूर्ण तथा दूसरे किसी के साथ मिश्रित न होते हुए अल्ला पर भक्ति होगी तथा उसके विरुद्ध होगी शिरक जैसे कि अल्ला के साथ किसी को सहकारी बनाना अथवा किसी प्राणी की पूजा करना।

यह भी देखना होगा कि मंदिर का नाश करने वाले लोग अपने कृती को किसी तरह देखते हैं। सर विद्याधर नायपाल ने उसका योग्य परीक्षण किया है। वे कहते हैं - ''मुस्लिमों का हिंदुस्तान पर विजय का सच्चा दृष्टिकोण है, श्रद्धा का विजय, मूर्तियों तथा मंदिरों की तोड़ फोड़, संपत्ति की लूट तथा स्थानिक लोगों को गुलामों जैसे भगाकर ले जाना।''

यदि यह स्वीकारना है कि इस्लाम को मंदिरों को नष्ट करना सचमुच स्वीकार नहीं है तब, वह बाबरी ढांचा प्रार्थना स्थल है यह न स्वीकारने का और एक कारण होगा। बाबरी ढांचा यह राजकीय स्मारक था इस तर्क को यह बात और पक्का करती है।

३९. श्रीराम जन्मभूमि तथा सोमनाथ इनमें कोई तुलना कर सकता है क्या?

हाँ, इन दोनों ही स्थानों के मंदिर इस्लाम के नाम पर हेतुत: नष्ट किये गये थे। इन दोनों ही स्थानों में अपने देश के बाहर से आये हुए आक्रमणकारी सैनिकों ने तोड़ फोड़ की थी। हिंदुओं ने उनके पवित्र मंदिरों का संरक्षण करने में असाधारण बलिदान दिये थे। हिंदुओं ने केवल मंदिरों के साथ ही नहीं तो उन स्थानों से भी लगाव प्रदर्शित किया। हिंदुओं ने उन स्थानों को वापस प्राप्त करने के लिए, इस्लामी शासन होते हुए भी, लगातार प्रयास किये। ऐसी अनेक समानताएँ इन दोनों में हैं।

कदाचित, केवल एक फरक सोमनाथ के बारें में देखने को मिलता है कि मंदिर के भग्नावशेष पर कोई धार्मिक ढांचा खड़ा नहीं किया गया था। फिर भी तोड़े गये मंदिर के सीमा में एक छोटी सी मस्जिद खड़ी की गई थी। यह छोटा सा ढांचा भी किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं किंतु समान राजकीय संदेश देने हेतु (श्रीराम जन्मभूमि पर के बाबरी ढांचे के जैसा ही) कि ''हिंदू अब गुलाम बन गये हैं।'' यदि मुस्लिमों को प्रार्थना स्थल बनाने की आवश्यकता होती तो वे उसे थोड़ी दूर पर बना सकते थे।

४०. क्या दुनिया के अन्य स्थानों में गुंडागर्दी करके नष्ट किये हुए धार्मिक स्थलों के स्थान वापस लेने के प्रयत्न हुए थे?

हाँ, बारहवीं शताब्दि के आसपास मूर लोगों ने स्पेन को जीता था। उन्होंने स्पॅनिश लोगों को जबरदस्ती से क्रिश्चन धर्म से इस्लाम बनाया था। सोलहवीं शताब्दि में क्रिश्चन लोगों ने मूर लोगों को पराजित करके देश के बाहर खदेड़ दिया। उस समय वहाँ के मुस्लिमों को तीन पर्याय दिये गये थे। (१) फिर से क्रिश्चन बनो। (२) मूर लोगों के साथ देश छोड़ो। (३) मरण स्वीकारो। मुस्लिमों के सब प्रार्थना स्थल, क्रिश्चन चर्च में बदले गये। यह फिर से क्रिश्चनीकरण भी जबरदस्ती से किया गया।

रशिया का पोलंड पर का अधिकार (१६१४-१९१५) समाप्त होने पर पोलिश लोगों ने प्रथम जो काम किये उसमें से एक था, वॉर्सा में शहर के मध्यवर्ती स्थान में रशियन लोगों ने बनाया हुआ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चन कॅथेड्रेल नष्ट किया। नष्ट किये हुए उस कॅथेड्रेल में क्राइस्ट का सम्मान होता था और क्राइस्ट का पोलिश लोक भी सम्मान करते थे, फिर भी पोलिश लोगों ने उसे नष्ट किया क्योंकि वे उस कॅथेड्रेल को धार्मिक प्रार्थना स्थल मानते ही नहीं थे, लेकिन राजकीय स्थल अर्थात पराभव का स्मारक मानते थे।

तोड़े गये पवित्र स्थानों को वापस लेना, विशेषत: जहाँ राजकीय स्मारक बनाये गये हों। उन्हें नष्ट करना यह पुन: स्वतंत्रता प्राप्त देशों का, समान कार्यक्रम रहता है।

४१. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण, भारतीय जनता पक्ष के चुनाव परिणामों पर क्या असर डालेगा?

श्रीराम जन्मभूमि अभियान यह चुनावी राजनीति का मुद्दा नहीं है। उसे अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से ही देखना चाहिए। उसे राजनीतिक स्पर्धा तथा भाजपा अथवा किसी अन्य पक्ष के चुनावी परिणामों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। दुर्दैव से यह अभियान चुनावी राजनीति से उन लोगों ने जोड़ा है, जो मंदिर निर्माण के विरोधी हैं। वोट बैंक की राजनीति के परिणाम स्वरूप यह हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने ठीक ही कहा है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनाना हमारे राष्ट-ीय भावनाओं का भाग है। इसलिये श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्यक्रम सभी राजकीय पक्षों के कृति सूची पर होना चाहिए, सिर्फ भाजपा के नहीं। इस प्रकार से ही यह अभियान राजनीतिक आखाड़े से अलग रह रकेगा।

४२. आप बाबरी ढांचे के पास ही राम मंदिर क्यों नहीं बनवाते, जैसे मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर तथा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में है?

हिंदुओं ने राम चबूतरा में राम पूजा तथा भजन कीर्तन करने के प्रस्ताव को मान्यता दी, यह केवल दूसरा अच्छा पर्याय इस नाते मथुरा तथा वाराणसी की स्थिति भी वैसी ही थी। उन स्थानों पर मस्जिदें बनीं जब हिंदू वहाँ अपने स्वामी नहीं थे। इन तीनों स्थानों में हिंदुओं का उद्देश्य उन स्थानों पर अपना अधिकार कायम रखने का था। क्योंकि उन स्थानों में हिंदुओं का सांस्कृतिक लगाव था।

जहाँ संबंधित स्थान हिंदुओं के लिये विशेष पवित्र और महत्त्व के हैं, वहाँ पर उन्हें दूसरा अच्छा पर्याय स्वीकारने को बाध्य नहीं करना चाहिए। इन स्थानों पर अपना प्रार्थना आंशिक समाधान देनेवाली रहेगी जिससे इस्लाम के विरुद्ध की दुर्भावना बनी रहेगी। आक्रमकों ने बनाये हुए ढांचे इन स्थानों में रहने से, इस्लाम के विरुद्ध दुर्भावना मजबूत होती रहेगी, क्योंकि उनका उद्देश्य इन ढांचों का उपयोग प्रार्थना स्थल जैसा करने के बजाय राजकीय करना ही होता है। ये तीनों स्थान हिंदुओं को वापस करने से, धार्मिक सुसंवाद सुधारने में बहुत प्रगति होगी।

४३. श्रीराम जन्मभूमि अभियान के अलावा अन्य कोई महत्त्व के मुद्दे जो कि समाज द्वारा सुलझाने लायक है, नहीं है क्या?

समाज सदैव अनेक, विविध महत्त्व के मुद्दे एक ही साथ हाथ में लेता है। श्रीराम जन्मभूमि के प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयत्न करना इसका मतलब यह नहीं कि, उदाहरण के लिये, सर्व साधारण अशिक्षित लोगों को पढ़ाने का काम बंद रखना।

यह प्रश्न योग्य होता यदि श्रीराम जन्मभूमि अभियान के कारण देश की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति रुक गयी हो। यह अभियान गतिमान हुआ है १९८० के दशक के मध्य में सब

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय तक देश की स्थिति किसी भी पद्धति से नापने पर खराब थी। उस समय के बाद, देश में तीव्र गति से प्रगति हुई है। इस पर से स्पष्ट है जब श्रीराम जन्मभूमि अभियान गतिमान हुआ तब देश ने अन्य प्रश्नों को दुर्लक्षित नहीं किया।

४४. श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर के बदले अन्य कुछ भवन जैसे पुस्तकालय क्यों नहीं बनाते? इससे अधिक गहरा जातीय सामंजस्य निर्माण नहीं होगा क्या?

अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि स्थान दुनिया भर के सब हिंदुओं के लिये महत्त्व का है, क्योंकि उनका विश्वास है कि श्रीराम का जन्म यहाँ हुआ। यह विश्वास परंपरा से लगातार ३००० वर्षों से भी अधिक पुराना है। हिंदुओं के लिये यह प्रश्न केवल ईंटे और चूने का नहीं है। लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता के उन्नति, अभियान तथा पुनर्युवाकरण का है और इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिये हिंदुओं ने शांतिपूर्ण मार्ग से अनेक प्रयत्न किये हैं

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केवल जन्मभूमि पर ही बन सकता है। अन्य किसी स्थान पर नहीं। पुस्तकालय अन्य कोई ढांचा अन्य स्थान पर बन सकता है, मंदिर के पास भी। हिंदू परंपरा से पूजा स्थान और शिक्षा स्थान साथ-साथ एकत्र रह सकते हैं।

जाति-जाति में सुसंवाद न रहने के लिये, श्रीराम जन्मभूमि अभियान गतिमान होने के पहले से ही दुर्दैवी इतिहास है। विसंवाद से श्रीराम जन्मभूमि अभियान का कोई संबंध नहीं है। जाति जाति में सुसंवाद सुधारने के लिये समस्या की योग्य कारण मीमांसा करनी होगी। वह पुस्तकालय बनाने से अथवा उसी प्रकार का अन्य ढांचा खड़ा करने से साध्य नहीं होगा।

४५. बाबरी ढांचे का उपयोग मुस्लिमों के प्रार्थना स्थल जैसा, गत कुछ वर्षों से हुआ था क्या?

अभिलेख बताते हैं कि १९३० वें दशक के मध्य से मुस्लिमों ने श्रीराम जन्मभूमि पर नमाज पढ़ना बंद किया है। हिंदुओं का पूजा तथा भजन का राम चबूतरा और सीता की रसोई, जो कि बाबरी ढांचे के आगन में है, सोलहवीं शताब्दि के उत्तरार्ध से लगातार हो रहा है। दिसंबर १९४९ से रामलल्ला की पूजा बाबरी ढांचे के अंदर, रामलल्ला के मूर्ति के सामने करना हिंदुओं ने प्रारंभ किया। यह पूजा पाठ आज भी वहाँ, जारी है। इसके लिये न्यायालय का आदेश प्राप्त है। परिणामत: इस स्थान का मंदिर जैसा ही व्यवहार चल रहा है। अभी जो करने का प्रयत्न चल रहा है वह है जीर्णोद्धार कार्यक्रम जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को पूरा वैभव प्राप्त होगा।

जब जुलाई १९९० में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंह चर्चा द्वारा प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयत्न कर रहे थे तब वह रा. स्व. संघ के नेताओं को बोले ''अरे भाई मस्जिद है ही कहाँ? जब नमाज भी पढ़ा नहीं जा रहा है और जब ४० साल से जहाँ मूर्ति की पूजा हो रही है, वह किस प्रकार की मस्जिद है? वह अपने श्रीराम का मंदिर ही तो है।''

श्री. पी. वी. नरसिंहराव प्रधानमंत्री थे तब गृहमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण श्रीराम जन्मभूमि को

भेट देने गये थे। उन्होंने रामलल्ला की मूर्ति का दर्शन लिया, प्रार्थना की, प्रसाद लेकर उनके आशीर्वाद प्राप्त किये। ये धार्मिक विधि समाप्त होने के बाद उन्होंने मस्जिद देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जो बाबर के सम्मान में बनाई गई थी। जब उनको बताया गया कि वे उसी ढांचे में खड़े हैं तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया।

४६. श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना क्यों चाहते हैं जब कि छोटा सा मंदिर तो है ही?

श्रीराम जन्मभूमि अभियान यह केवल ईंटे और चूने का एक ढांचा खड़ा करने के लिये नहीं है। वह राष्ट- तथा संस्कृति का सम्मान प्रस्थापित करने के लिये है। लोगों में उसे देखकर अभियान संचरेगा, उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मंदिर जो उनको तेजस्वी भूतकाल का वैभव दिखायेगा। यह तब हो सकता है जब हमको इस स्थान पर पूर्ण वैभव के साथ मंदिर प्राप्त होगा।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था ''आपके पूर्वजों ने सब कुछ धैर्य से स्वीकारा, मरण भी। लेकिन स्वधर्म का रक्षण किया। मंदिर के बाद मंदिर विदेशी आक्रमणकारी विजेताओं ने तोड़े, लेकिन उनके आक्रमण की लहरें वापस जाते ही मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। दक्षिण भारत के ये मंदिर तथा सोमनाथ जैसे गुजरात के मंदिर आपको चतुराई सिखाएँगी, आपको अपने वंश के इतिहास में देखने की उत्कट गहरी दृष्टि देंगे। देखो ये मंदिर, किसी प्रकार सैकड़ों हमलों के चिन्ह धारण कर रहे हैं, तथा सैकड़ों पुनर्निर्माणों का इतिहास बता रहे हैं। लगातार तोड़े फोड़े मंदिर तथा लगातार भग्नावशेष पर पुनर्निर्माण, पुनर्युवा तथा मजबूत बनकर खड़े हुए भक्त। ऐसे है राष्ट-ीय मन तथा राष्ट-ीय जीवन प्रवाह। इसी प्रवाह का अनुसरण करो तो वह आपको वैभव प्राप्त करा देगा। इसी प्रवाह को दूर करो तो आपका नाश होगा। केवल मरण यही उसका परिणाम होगा। संपूर्ण नाश, प्रलय, यही केवल परिणाम होगा यदि आप इस जीवन प्रवाह के बाहर कदम रखेंगे।''

४७. मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन द्वारा किया गया, यह सत्य है क्या?

हाँ, धर्म गुरुओं ने बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल को, ३० नवंबर १९८९ को, मंदिर का शिलान्यास करने के लिये निर्वाचित किया, और उन्हें वह सम्मान प्राप्त हुआ। हिंदू समाज की आवश्यक एकात्मकता केवल धर्मगुरुओं के शब्दों से नहीं होगी तो उनकी कृति भी वैसी ही होनी चाहिए, यह दिखाने के लिये यह विचारपूर्ण निर्णय था। श्रीराम जन्मभूमि अभियान की बहुत बड़ी एकरूप बनाने की शक्ति की उपलब्धि का यह स्पष्ट चिन्ह था।

कुछ अधिक सवाल निम्नलिखित रूप से हैं:

१. इ. स. १५२८ में रामजन्मभूमी पर खडा मंदिर ध्वस्त किया गया था और जहाँ हिंदू अब राममंदिर खडा करना चाहते हैं ठिक उसी स्थान पर इस्लाम के नाम पर एक स्तंभ खडा करना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव सामने रखा गया है। अगर सांप्रदायिक सद्भाव साध्य होता है तो इस में क्या बुराई है?

६ दिसंबर १९९२ के पूर्व उस स्थान पर जो ढांचा खडा था वह तो हिंदुओं के लिए गुलामी का प्रतीक था और हिंदुओं के पवित्र स्थान पर भी इस्लाम का वर्चस्व प्रस्थापित है इस बात का यह स्मरण दिलाता था। ऐसी परिस्थिति में श्री राम जन्मभूमी पर इस्लाम का परिचय दिलानेवाले किसी भी निशानी का होना तो वही बात दर्शाएगा और इस स्थान पर इस्लाम का कुछ तो अधिकार है यह भी इस से सूचित होगा। हिंदुओं का जो अपमान हुआ है उसकी परंपरा ऐसी ही आगे चलती रहेगी। सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का यह मार्ग नहीं है।

२. सरकार रामजन्मभूमी के निकट की भूमी अधिग्रहण कर वह मुस्लिमों को सौंपनेवाली है ताकि वहाँ पर कोई इस्लामिक केंद्र का निर्माण हो सके, ऐसा कहा जाता है। इस बात पर आक्षेप लेनी क्या आवश्यकता है?

- भारत में पर्याप्त मात्रा में इस्लामिक केंद्र हैं। तथा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत के विभिन्न भागों में अपने कैम्पस बनाने की अनुमति भी दी गई है। इस्लामिक अध्ययन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग विभाग भी होते हैं। तब श्री रामजन्मभूमी के निकट किसी भी तरह का इस्लामिक केंद्र खडा करने से क्या साध्य हो जाएगा? और तो और इस तरह का इस्लामिक केंद्र वहाँ खडा करने की कल्पना सामने इसीलिए आई है क्योंकि उस रामजन्मभूमी स्थान पर बाबरी ढांचा खडा था। उस क्षेत्र में रहनेवाली बडी मुस्लिम जनसंख्या को ऐसे किसी इस्लामिक केंद्र की सेवा की आवश्यकता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।

३. क्या सरकार श्री रामजन्मभूमी पर मंदिर निर्माण का मुद्दा सरकार पवित्र गंगा नदी के शुद्धिकरण प्रकल्प से जोडने की फिराक में है?

- ऐसा कुछ किया जा रहा है ऐसी अफवाएं सुनने में आ रही हैं, लेकिन वह किस हद तक सही है, इस का हमें पता नहीं है। श्री रामजन्मभूमी पर मंदिर पुनर्निर्माण के विषय पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, यह बात सब को जान लेनी चाहिए। इस स्थान पर हिंदुओं का ही अधिकार है और उस अधिकार का आदर किया जाना चाहिए। गंगा नदी के शुद्धिकरण के मामले में भी कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। नदी का शुद्धिकरण करना यह तो सरकार का कर्तव्य ही है। यह मामले एक दूसरे का विकल्प नहीं बन सकते हैं। प्रत्येक की उचित स्वयंभू गुणवत्ता देख कर वह दोनों चीजे करणीय हैं।

४. प्रत्येक राजनीतिक दल अपने लिए मुस्लिम वोटों को बटोरने के प्रयास में क्यों जी-जान से लगी हुई हैं?

- यह जी-जान प्रयास कोई नई बात नहीं है, यह तो कोई भी भला-बुरा मार्ग अपनाकर चुनाव जीतने के लिए इन राजनीतिक दलों के दावपेंच का एक हथकंडा है। मुस्लिम समुदाय के लिए कोई सकारात्मक कार्य करने की इच्छा इन राजनीतिक दलों के मन में बिलकुल नहीं है, यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीतिक दल अपने लिए इस समुदाय के वोट मुस्लिम नेता बटोर सकते है इस आशा को लेकर इन नेताओं को खुश करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कोई विधायक कार्य खडा करने के बजाय इस समुदाय को अपना एक वोटबैंक समझ कर यह राजनीतिक दल चल रहे हैं।

५. व्हटिकन, मक्का ऐसे स्थानों पर अन्य धर्मियों के धार्मिक पूजा-प्रार्थना हेतु भवन निर्माण करने के बारे में क्या स्थिति है?

- इन स्थानों पर अन्य धर्मों के लिए पूजा-प्रार्थना के भवन खडा करने का विषय नहीं उठाया जा सकता है। इन धर्मों के धार्मिक नेता इन स्थानों को केवल अपने धर्म के लोगों के लिए ही सिमित रखना चाहते हैं। ऐसा होते हुए भी वह लोग ऐसे अधिकार की मांग कर रहे हैं जो अधिकार वे खुद दूसरों को देने की भावना बिलकुल भी नहीं रखते हैं।

६. श्री रामजन्मभूमी पर इस्लाम के लिए स्तंभ बनाना अथवा उसके निकट कोई इस्लामिक केंद्र खडा करना यह बातें बाबर द्वारा की गए आक्रमण के साथ जोडकर ही क्यों देखी जाती हैं?

- उस स्थान पर ६ दिसंबर १९९२ के पूर्व बाबरी ढांचा खडा था, इसी के कारण उपर बताई गई मांग उठाई जाती है और इसीलिए यह संबंध जोडना आवश्यक बन जाता है। हिंदू अपना पवित्र स्थान वापस मांग रहे हैं, इस के अलावा अन्य कोई भी मुद्दा नहीं है। हिंदुओं के सामने ऐसी मांगे रखी जा रही हैं क्योंकि उन बातों का अपनेआप में कोई महत्त्व है ऐसा कुछ नहीं है। यह तो केवल बहस चलाने का आरंभबिंदू है। ऐसा संबंध जोडकर वह हिंदुओं पर थोपा जा रहा है।

७. श्री रामजन्मभूमी मामले में हाल ही न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे जुडी परिस्थिति क्या है?

- बहुत बडी बहस के पश्चात् और अलाहाबाद न्यायालय के सामने रखे गए पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, और कानूनी प्रमाणों का न्यायालय द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने यह कहा है कि वहाँ पर खडा हिंदू मंदिर ध्वस्त कर बाबरी ढांचा बनाया गया था। यह पवित्र स्थान है, और उसे रामजन्मभूमी संबोधित करना यह प्रदीर्घ निरंतर परंपरा रही है यह हिंदुओं का कथन न्यायालय ने मान लिया है। यह सत्य सिद्ध होने के बावजूद सेक्युरिज्म का मुखौटा धारण कर जन्मभूमी का विभाजन किया गया। उच्च न्यायालय के सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं था। इसलिए हिंदुओं ने इस

विभाजन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस संपूर्ण स्थान पर केवल हिंदुओं का ही अधिकार है और उसका आदर होना चाहिए।

८. क्या न्यायालय में प्रलंबित मामले को लेकर राजनीतिक दल कोई हरकत कर सकता है?

- वैधानिक और नैतिक मर्यादाओं का निर्वहन करना यह बात तो इस वोटबैंक राजनीति के दौर में उपस्थित ही नहीं होती है। ऐसे राजनेताओं द्वारा उठाया गया कदम उनके लिए मुस्लिम वोटों को बटोर सकता है, ऐसा जब तक उनको लगता है तब तक इस मामले के वैधानिक पहलू पर वे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अपनेआप को सेक्युलर मान कर चलनेवाले बुद्धिवादी लोग भी इस तरह के हथकंडों को अपनाकर वोट बटोरने के राजनेताओं के तरीके को सही मानते है, यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे राजनेताओं के मन में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी विधायक कार्य करने की मनीषा नहीं है, यह बात बुद्धिवादी लोग सामने नहीं लाते हैं।

परिशिष्ट क्रमांक : १

ई.स. १५२८ में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का नाश किया गया यह सिद्ध करने वाले सबूतों का सारांश

विश्व हिंदू परिषद ने दिसंबर १९९० में भारत सरकार को सादर किये हुए सबूतों का सारांश प्रस्तुत है। चंद्रशेखर सरकार द्वारा आयोजित चर्चाओं के संदर्भ में ये सबूत संग्रहित किये गये थे। चर्चा में उपस्थित विधिज्ञ सभासदों ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि ''ऐसा कोई सबूत है कि बाबरी ढांचा बनाने के पहले तथा बनाने तक, श्रीराम भक्त इस स्थान को पवित्र श्रीराम जन्मभूमि मानते थे तथा ऐसी कोई पुरानी और अटूट परंपरा यह दर्शाती है कि यहाँ मंदिर में श्रीराम की प्रार्थना चलती थी? ये सब सबूत वि.हि.प. ने प्रकाशित भी किये हैं। अनेक लोगों ने उन सबूतों में बताये गये मुद्दों के बारे में अपने अभिमत दिये हैं। इन सबूतों से यह सिद्ध होता है कि ई.स. १५२८ में श्रीराम जन्मभूमि पर तोड़फोड़ की गई थी। सभी सबूत इस वेब साइट पर उपलब्ध हैं।''http://hvk.org/specialreports/rjm/index.html

नरसिंहराव सरकार ने फरवरी १९९३ में एक श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध की थी। भाजपा ने अप्रैल १९९३ में अपनी एक श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध किया। इसमें श्रीराम जन्मभूमि के बारें में जो प्रकरण है, उसमें सबूतों का सारांश है। वि.हि.प. ने सरकार को दिये हुए सबूतों पर सरकार की टिप्पणियों का भी भाजपा के श्वेत पत्रिका में समावेश है। सरकार की टिप्पणियाँ सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन भाजपा की श्वेत पत्रिका सबको उपलब्ध है। हमारी जानकारी से भाजपा ने प्रसिद्ध की हुई सरकारी टिप्पणियाँ नकारी नहीं है। भाजपा के श्वेत पत्रिका का संबंधित प्रकरण नीचे के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

http://hvk.org/specialreports/bjpwp/ch3.html भाजपा की संपूर्ण श्वेत पत्रिका आगे दिये हुए वेबसाइट पर उपलब्ध है :- http://hvk.org/specialreports/bjpwp/index.html

वि.हि.प.ने दिये हुए सबूत पांच विभागों में विभाजित किये हुए है। प्रथम विभाग हिंदुओं ने शपथ पूर्वक दी हुई साक्षिओं का है। अयोध्या नगरी, नि:संशय बहुत पुरानी नगरी है। दीर्घकाल से हिंदुओं के लिये बहुत पवित्र स्थान है। वाल्मीकि रामायण ऐसे बताता है कि यह नगरी सरयू नदी के तट पर वसाई गई है। और वह इस नगरी का विस्तार, संपत्ति, गौरव तथा संपन्नता का वर्णन

करता है। अनेक पुराण ग्रंथ इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अयोध्या नगरी सात अति पवित्र नगरिओं में से महत्त्व की नगरी है। अन्य छह नगरियाँ है: मथुरा, हरिद्वार, काशी, काँची, उज्जैनी तथा द्वारका। सब हिंदू धर्म ग्रंथों में अयोध्या नगरी की श्रेष्ठता का वर्णन आता है। और श्रीराम विष्णु का अवतार होने का उल्लेख आता है। प्राचीन शैली का सर्वश्रेष्ठ कवि तथा नाटककार कालिदास, विष्णु का पृथ्वी तल पर श्रीराम के रूप में अवतार होने का वर्णन करता हैं। प्राचीन शैली के संस्कृत साहित्य का एक भी प्रसिद्ध कवि अथवा लेखक नहीं हैं जिसने श्रीराम को अपने साहित्य में किसी न किसी प्रकार से नमन न किया हो।

गत ३००० वर्षों से श्रीराम का आदर करने की परंपरा, हिंदू समाज में रही है। सबसे पहले का ज्ञात शिलालेख नाशिक के पास एक गुफा में मिला है। इसका काल ई.स. १५० आंका गया है। श्रीराम की भक्ति की परंपरा किमान ई.स. ३०० से विकसित हुई है, यह नागपुर से ३० कि.मी. दूरी पर के रामगिरी पहाड़ियों में प्राप्त पुराने पवित्र स्थानों पर उपलब्ध मूर्तियों के भग्नावशेषों से सिद्ध हुआ है। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध देवघर मंदिर से लेकर कंबोडिया के अंगकोर वट तक के भारत तथा अन्य देशों के अनेक मंदिरों की दीवारें श्रीराम के जीवन के विविध प्रसंगों की कथाएँ दर्शाने वाले भित्ति चित्रों से सुशोभित की गई हैं। बैंकॉक के भव्य राजप्रासाद के सीमावर्ती दीवार के अंतर्भाग पर संपूर्ण रामायण का चित्रमय रेखाटन किया हुआ है।

श्रीराम के जन्मदिन राम नवमी पर सर्वस्व समर्पण करना, दिये गये वचन का पालन करना, इससे कौन सी महानता प्राप्त होती है, इसका वर्णन अयोध्या माहात्म्य इस ग्रंथ में, इन शब्दों में किया गया है।

''जिस आदमी ने राम जन्मभूमि का दर्शन किया है, वह दानधर्म नहीं करेगा, तपस्वी जीवन नहीं जियेगा, तीर्थयात्रा नहीं करेगा और समर्पण तथा त्याग नहीं करेगा तो भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो आदमी वचन देनेवालों के जगत का दर्शन करेगा उसको स्नान तथा दान के अद्‌भुत प्रभाव से राम नवमी के दिन पुनर्जन्म के फेरे से मुक्ति मिलेगी। श्रीराम जन्मभूमि का दर्शन करने से मनुष्य को लगातार प्रतिदिन १००० लाख गोदान करने से मिलनेवाला पुण्य मिलेगा।''

दूसरा विभाग, मुस्लिमों ने शपथपूर्वक दिये हुए साक्ष्यों का है। अनेक मुस्लिम लेखकों ने सत्रहवीं शताब्दि से अवध का विस्तृत प्रादेशिक इतिहास लिखा है और पुराने, समकालीन विविध प्रकार के स्रोतों पर आधारित वस्तुस्थिति दर्शक वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर नष्ट करके उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इन लेखकों में से कुछ लेखक अवध के नागरिक थे। मुस्लिम गवाहों ने शपथ पूर्वक दिये हुए १२ साक्ष्यों में से पाच साक्ष्य हम यहाँ दे रहे हैं। ये १९९० में सरकार को दिये हुए सबूतों का भाग है।

सत्रहवीं शताब्दि का अंत तथा अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बहादुर शहा आलमगीर की लड़की ने लिखे हुए ''साफिया-ई-चहल नासा-ई-द बहादुर शाही'' इस ग्रंथ में लिखा है:-

''जिन पर हिंदुओं की बड़ी श्रद्धा है वह कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा, हनुमान का स्थान

बनारस, जहाँ लंका विजय के बाद श्रीराम ने उसे स्थापित किया था, और सीता की रसोई का स्थान अवध आदि स्थानों पर जो हिंदुओं के प्रार्थना मंदिर थे, वे सब, इस्लाम की शक्ति बढ़ाने के लिये, नष्ट किये गये और इन स्थानों पर मस्जिद बनाई गयी हैं।''

मिर्जा जान, अपने किताब ''हादिक-ई-शहादा (१८६३)'' में लिखा है :- ''भूतपूर्व सुलतानों ने इस्लाम का प्रसार करने तथा महिमा बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया। तथा इस्लाम विश्वास न रखनेवाले हिंदुओं को दबाया (पराजित किया)। वैसे ही फैजाबाद और अवध यहाँ की काफिरों की तुच्छ प्रथा बंद की। अवध यह भक्ति का बड़ा केंद्र तथा राम के पिता के राज्य की राजधानी थी।..... जन्म स्थान मंदिर यह राम का मूल जन्म स्थान था और उसी के पास ही सीता की रसोई है।..... इसीलिये उस स्थान पर बाबर बादशाह ने मुसा आशिकन के मार्गदर्शन से भव्य मस्जिद बनाई है।''

उर्दू उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग सुरूर (१७८७-१८६७) अपने फसना-ई-इब्रल में लिखता है - ''बाबर बादशाह के शासन काल में अवध में, सीता की रसोई से संबंधित स्थान पर एक भव्य मस्जिद बनाई थी। वह बाबरी मस्जिद थी।''

शेख मोहम्मद अजमल अली का कोर वाईनामी (१८६९) अपने तारीख-ई-अवध में कहते हैं कि ''अवध यह लक्ष्मण तथा राम के पिता की राजधानी थी। वहाँ मुसा आशिकन के मार्गदर्शन में एक भव्य बाबरी मस्जिद, जन्मस्थान के अहाते में मंदिर के स्थान पर बनाई थी।'' इसी नाम के एक अन्य किताब में, लेकिन अलामा मुहम्मद नज्जमुल घनी खान रामपुरी (१९०९) ने लिखे हुए, कहा गया है कि ''बाबर ने अयोध्या में रामचंद्र के जन्मस्थान का मंदिर जिस स्थान पर था, वहीं एक भव्य मस्जिद बनवाई।''

मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हुई ने (१९२३ में मृत) लिखे हुए ''हिंदुस्तान इस्लामी आहाद मियान'' इसका अंग्रेजी अनुवाद, उनके पुत्र मौलाना अब्दुल हसन बडवी तथा अली मियान ने ई.स. १९७७ में प्रसिद्ध किया। इस किताब में ''दि मॉक्स ऑफ हिंदुस्तान'' शीर्षक का एक प्रकरण है। इसमें बारहवें से सत्रहवें शताब्दि में मुस्लिम शासकों ने नष्ट किये हुए मंदिरों के स्थान पर मस्जिद बनाने की किमान छह घटनाओं का वर्णन है। बाबरी ढांचे के बारे में वह लिखते हैं - ''यह मस्जिद बाबर ने अयोध्या में उस स्थान पर बनवायी थी जिसको हिंदू रामचंद्र का जन्मस्थान कहते हैं।''

तीसरे विभाग में, युरोपीय अभिलेखा दिये है, जो श्रीराम जन्मभूमि स्थान की पवित्रता तथा ई.स. १५२८ में किया हुआ मंदिर का नाश प्रमाणित करते हैं। एक युरोपीय प्रवासी विलियम फ्रिंच (१६०८-११) रामकोट नाम के किले के भग्नावशेष प्रमाणित करता है - जो कि श्रीराम का किला था, जहाँ हिंदू लोगों का विश्वास है कि श्रीराम का जन्म हुआ।

एक ऑस्टि-यन जेसुईट प्रीस्ट (१७६६-७१) जोसेफ टायफेंदलर वर्णन करता है कि बाबर ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर नष्ट किया और उसी स्थान पर, मंदिर के कुछ स्तंभों का उपयोग करके, मस्जिद बनवायी। वह ऐसा भी कहता है कि हिंदुओं ने मुस्लिमों का विरोध रहते हुए भी वहाँ प्रार्थना

करना नहीं छोड़ा। उसने बाबरी ढांचे के आंगन में राम चबूतरा होने का तथा राम नवमी उत्सव में भारत के सभी भागों से आये हुए राम भक्तों के विशाल जनसमूहों का वर्णन किया है।

ब्रिटिशों के सब अधिकृत अभिलेखों में श्रीराम जन्मभूमी स्थान की प्राचीन काल से, पवित्र भावना मान्य की गई है। तथा वहाँ का मंदिर नष्ट किया गया था यह भी प्रमाणित किया गया है। इन सब अभिलेखों में यह भी लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर वहीं बाबरी ढांचा बनाया है। अनेक जगह यह भी बताया गया है कि तोड़े गये मंदिर के अनेक स्तंभ बाबरी ढांचे में उपयोग में लाये गये हैं।

ऑर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (१९३४) ने अयोध्या के सब पवित्र स्थानों को प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ से निश्चित करके, उन्हें क्रमांक देकर, वहाँ सूचित करने के लिये पत्थर के स्तंभ खड़े किये। बाबरी ढांचे को श्रीराम जन्मभूमि संबोधित करके वहाँ लेख स्तंभ खड़ा किया जिस पर लिखा है, ''स्थान क्रमांक -१, जन्मभूमि।''

ई.स. १८८६ में न्यायालय से प्राप्त निर्णय की चर्चा, प्रश्न क्रमांक १४ के उत्तर में विस्तार पूर्वक की है। तथा बाबरनामा में क्या कहा है (अंग्रजी अनुवाद अनीता बीव्हीरिज) इसकी चर्चा प्रश्न क्रमांक ७ तथा ८ के उत्तर में की है। एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका (१९७८, १५ वां संस्करण-खंड १) में लिखा है कि ई.स. १५२८ में बाबर ने पहले के मंदिर के स्थान पर, मस्जिद बनवायी। यह श्रीराम जन्मभूमि स्थान है।

एक डच स्कॉलर हसबेकर अपने 'अयोध्या' (१९८४) नामक विस्तृत अभ्यास ग्रंथ में नि:संदिग्धता से मान लेता है कि, उस पवित्र स्थान पर एक वैष्णव मंदिर था, जहाँ श्रीराम का जन्म हुआ था, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। बेकर ऐसे भी कहता है कि, जन्मभूमि मंदिर ई.स. १५२८ में बाबर ने नष्ट किया तथा वहीं पर बाबरी ढांचा खड़ा किया। मंदिर के काले पत्थर के १४ स्तंभ, मीर बाकी ने मस्जिद की रचना में उपयोग में लाये।

चौथे विभाग में आर्थिक लेख, कोट : रामचंद्र, श्रीराम के निवास का मुख्य स्थान, अयोध्या नगरी से पूर्णत: अलग दिखाया है। लेखों में जन्मस्थान एक भव्य संकुल-कोट रामचंद्र, एक प्रमुख चिन्ह जैसे काम करता है।

आखरी विभाग में पुरातत्व विभाग के अभिलेख के संबंध में सबूत दिये हैं। ई.स. १९७५-८० में आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामायण में उल्लेखित विविध स्थानों का अभ्यास करने के लिये एक प्रकल्प हाथ में लिया। एकत्रित सबूतों से स्पष्ट हुआ कि रामायण के लिये ऐतिहासिक आधार जरूर था। बाबरी ढांचे के पास दो जगह में उत्खनन किया गया। उससे सिद्ध हुआ कि बाबरी ढांचे के बाहर स्तंभों के आधार थे। ये ढांचे के स्तंभों की दिशा में तथा पंक्ति में थे। स्तंभों के आधारों के बीच का अंतर तथा ढाचे के स्तंभों के बीच का अंतर समान था। इन उत्खननों से यह भी पता चला कि इस स्थान पर ख्रिस्त पूर्व सातवीं शताब्दि से आवागमन या राबता है। इसका मतलब तकरीबन ३००० वर्ष पूर्व से। जो स्तंभ बाबरी ढांचे में थे, उन पर स्पष्टत: अलग दिखनेवाली

खास हिंदू शैली की आकृतियाँ थी। इससे साबित होता है कि बाबरी ढांचा बनने के पहले वहाँ मंदिर था।

दो महत्त्व की हिंदू रचनाएँ बाबरी ढांचे में थी - राम चबूतरा तथा सीता की रसोई। राम चबूतरा एक छोटा सा चबूतरा जिसके पर एक चांदवा था जहाँ श्रीराम के लिए प्रार्थना तथा भजन कीर्तन लगातार जारी रहता है। ऑस्टि-यन जेसुइट प्रीस्ट जोसेफ टिफेन्दर अवध में ई.स. १७६६ से ७१ रहता था। उसने वर्णन किया है कि हिंदुओं ने बाबरी ढांचे के आंगन में राम चबूतरा बनाया था। उसने ऐसा भी वर्णन किया है कि हिंदुओं का भजन पूजन आदि राम चबूतरा के सामने जारी रहता था। राम नवमी उत्सव में भारत के सभी भागों से रामभक्त आकर बड़ी संख्या में उत्सव मनाते थे। इससे यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हिंदुओं के लिये उस स्थान का कितना महत्त्व है। वे बड़ा धोका लेकर भी वहाँ अपना अस्तित्व सिद्ध करना आवश्यक मानते थे। प्रश्न क्रमांक १० का भी उत्तर देखें।

६ दिसंबर १९९२ को बाबरी ढांचा गिराया गया। उससे बहुत सारा पुरातत्त्व शास्त्र के उपयोग का साहित्य ढांचे की मोटी दिवारों से प्राप्त हुआ। इसके अलावा नकाशी किए हुए द्वार फलक, मूर्तियाँ पुरातत्त्व शास्त्रीय वस्तु जैसे आमलक, सिखारा, द्वार जांब्स आदि। उसमें तीन शिलालेखों का भी समावेश है। इनमें से बड़ा शिलालेख १.१०×०.५० मीटर लादी पर है। उस पर खुदी हुई २० पंक्तियाँ है। उन्हें प्राध्यापक अजय मित्र शास्त्री ने 'पुरातत्त्व' में प्रसिद्ध किया। (क्रमांक २३, (१९९२-९३) पृष्ठ. ३५. एफएफ) 'पुरातत्त्व' यह प्रसिद्ध विद्वत्तापूर्ण जर्नल इंडियन आर्किऑलॉजिकल सोसायटी द्वारा प्रकाशित होता है। प्रा. अजय मित्र शास्त्री नागपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रतिष्ठित इतिहास लेखक हैं, तथा एपिग्राफी और न्यूनिस्मॅटिक्स इन शास्त्रों में तज्ज्ञ है। प्रा. अजय मित्र शास्त्रीजी के लेख का संबंधित अंश:

शिला लेख पर खुदी हुई पंक्तियों में संस्कृत भाषा में धारावाही कविता है। तथा छोटा सा भाग गद्यरूप में है। वह शुद्ध तथा प्राचीन ग्यारहवां तथा बारहवीं शताब्दी की नागरी लिपी में खुदी हुई है। स्पष्ट है कि यह शिलालेख मंदिर के दीवार पर लगा हुआ था। तथा मंदिर के निर्माण के बारें में उस पर जानकारी दी है। इस शिला लेख की १५ वीं पंक्ति स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि विष्णु हरि का एक सुंदर मंदिर ढरे सारे पत्थरों के बड़े समुदाय से (शिला-सम हाती ग्रहैस) बनाया है। तथा सोने के सुंदर शिखर से सुशोभित किया है। (हिरण्य कलश श्री सुंदरम) आज तक के राजाओं ने बनाये हुए किसी भी मंदिर से अद्वितीय, अपूर्व (पूर्वेरपि अकृतम् कृतम् नृपतिभिर) बनाया था। यह अद्‌भूत मंदिर (अति अद्‌भुतम्) मंदिरों की नगरी (निबुध अलायनि) अयोध्या, साकेत मंडल में स्थापित (जिला, पंक्ति १७) यह दिखाते हुए कि अयोध्या और साकेत इतने नजदिक थे कि वे एकदूसरे से जुड़े हुए थे। साकेत जिला था तथा अयोध्या एक भाग था। पंक्ति १९ में भगवान विष्णु का वर्णन, राजा बली को नष्ट करने वाला (साफ दिखता है कि यह वामनावतार की घटना है) और दश मुखी व्यक्ति को नष्ट करनेवाला ऐसा किया हुआ है। (दशानन अर्थात रावण)''

परिशिष्ट क्रमांक : २

सर विद्याधर नायपाल के श्रीराम जन्मभूमि अभियान पर विचार

यहाँ श्रीराम जन्मभूमि अभियान के नीति के बारे में, हम सर विद्याधर नायपाल ने दिये हुए तीन साक्षात्कारों में से कुछ अंश दुहराते हैं। सर नायपाल त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय वंश के व्यक्ति हैं। अब वे युनायटेड किंग्डम में रहते हैं। वे अंग्रेजी भाषा के मान्यता प्राप्त साहित्यिक हैं। उन्होंने साहित्य क्षेत्र के महत्त्व के सब पुरस्कार सिवाय नोबेल प्राइस प्राप्त किए हैं। भारत विषयक अनेक, उत्तम विक्री होने वाली किताबें उन्होंने लिखी हैं।

उनके साक्षात्कारों से एक में (यहाँ समाविष्ट नहीं है) सर विद्याधर नायपाल ने कहा है :-

''दूसरे सहस्रक मुस्लिम आक्रमणों के साथ तथा भारत की हिंदू बौद्ध संस्कृति को कुचलने के साथ शुरू होता है। यह घटना इतनी बड़ी तथा बुरी है कि अभी भी उसके बारे में बोलते समय, शिष्ट, विनीत तथा भविष्य को सुरक्षित रखने वाले शब्द खोजने पड़तें है। वाङ्मय तथा इतिहास विषयक किताबों के कला लेखक मुस्लिमों के भारत प्रवेश के बारे में ऐसे लिखते हैं, जैसे कि वे पर्यटन बस से आये और फिर वापस चले गये। मुस्लिमों का भारत विजय का दृष्टिकोण अधिक सत्य है। वे श्रद्धा पर विजय पाने की, मंदिर तथा मूर्तियों को नष्ट करने को, संपत्ति की लूट करने की तथा स्थानिक लोगों को गुलाम बना कर ले जाने की बात करते हैं। गुलाम इतनी अधिक संख्या में तथा इतने सस्ते में थे कि वे चंद रुपियों में बिक जाते थे। पुरातत्त्व शास्त्रीय सबूत-उत्तर भारत में हिंदू स्मारकों का अभाव - यह बात वस्तुस्थिति समझने के लिये पर्याप्त विश्वासार्ह है।''

''प्रबोधन का क्षेत्र'' टाइम्स ऑफ इंडिया १६ जुलाई १९९३.

साक्षात्कार : श्री दिलीप पाडगावकर

पाडगावकर : एशिया में इस्लामी राष्ट-ों का उत्थान, सलमान रश्दी प्रकरण, मूल तत्ववादी मुस्लिमों द्वारा भारत में उदार मुस्लिम बुद्धिवादी लोगों को परेशान करना, ये सब विषय एकत्र करके देखकर, कुछ शक्तियाँ कहने के लिये बाध्य होती हैं कि असंघटित हिंदू समाज इस्लामी मूलतत्व वाद का मुकाबला कर नहीं सकता।

नायपाल : मैं यह विषय पूर्णतः उसी प्रकार नहीं देखता हूँ। आपने बताये हुए विषय पूर्णतः बाहरी हैं। भारत में जो हो रहा है वह नया, ऐतिहासिक उत्थान है। गांधीजी ने धर्म का उपयोग एक प्रकार से लोगों को स्वातंत्र्य के लिये प्रेरित करने के लिये किया। जो लोग स्वातंत्र्य आंदोलन

में आयें वे सोचते थे कि इसके द्वारा उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

आज, मैं महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय लोग अपने इतिहास के बारे में जागृत हो रहे हैं। रोमिल्ला थापर का भारतीय इतिहास संबंधित किताब इतिहास के बारे में मार्किस्ट दृष्टिकोण का नमूना है। किताब के महत्त्व के भाग में वह कहता है कि आक्रमणों के पीछे कोई गहरा सत्य है। जागिरदारी तथा ऐसे ही सब कुछ। निर्दोष सत्य यह है कि आक्रमणकारी स्वयं अपने कृति के बारे में क्या सोचते थे। वे विजय प्राप्त करते थे। वे लोगों पर अपना अधिकार जमाते थे। वे ऐसे देश में आये थे जहाँ लोग यह सब नहीं जानते थे।

केवल अभी लोग यह समझने लगे हैं कि आक्रमकों ने भारत के संपत्ति का विनाश किया था। आक्रमकों के विजय का तरीका तथा भारतीयों का स्वभाव धर्म इनके कारण अब तक यह समझ में नहीं आया था।

भारत में अभी जो हो रहा है वह शक्तिमान रचनात्मक प्रक्रिया है। भारतीय बुद्धिजीवी लोग, जिनको अपने उदार मतों को चिपक के रहना है, वे कदाचित समझ नहीं सकेंगे कि क्या हो रहा है। खासकर यदि ये बुद्धिजीवी लोग अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अन्य प्रत्येक भारतीय स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है यह जानता है। मन ही मन वह जानता है कि बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। हालांकि कभी कभी लोगों का यह प्रतिसाद आगामी संकटों की सूचना के रूप में उनके आंखों में प्रतिबिंबित होते हुए दिखता है।

फिर भी हमें उदार मतवाद के अधिक विकृत प्रकारों में से एक की जानकारी है। वह मान्य करता है कि दुनिया में एक मूलतत्ववाद ठीक है। यह मूलतत्ववाद वह है जिससे वे सचमुच डरते हैं। इस्लामिक मूलतत्व वाद! इसका स्रोत है अरब पैसा। बुद्धिमानी से इसको गंभीरता से लेना नही चाहिये, आदि। मुझे दिखता नहीं कि हिंदुओं की प्रतिक्रिया क्या होगी जब एक मूलतत्ववाद के विरुद्ध दूसरा मूलतत्व वाद खड़ा रहेगा। प्रतिक्रिया का अर्थ अत्यधिक प्रतिक्रिया होता है।.... मुसलमानों का मूलतत्व वाद यह मुख्यतः नकारात्मक होता है। दुनिया के विरुद्ध संरक्षण के लिये वे अगतिकता से इसमें सहभागी होना चाहते हैं। यह दुनिया के विरुद्ध की आखरी जो लड़ाई है।

लेकिन हिंदू लोग अभी विकसित कर रहे हैं, वह इतिहास का एक नया रूप है। कुछ भारतीय मिश्र संस्कृति की बाते करते हैं। पराजित लोग सर्वदा ऐसे ही बोलते है। सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्र संस्कृति सत्य होगी भी। लेकिन उस पर जोर देना यह एक प्रकार से तीव्र उपद्रव का प्रतिसाद देने जैसा होगा।

पाडगावकर : यह इतिहास का नया बोध, जैसा आप नाम देते हैं, भारत में विविध प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है। मेरी चिंता यह है कि यह इतिहास बोध की खोज पुनः पाश्चात्य देशों से आये हुए कुछ बहुमूल्य विचारों से संघर्ष में परिवर्तित होगी- ''व्यक्तिस्वातंत्र्य की कल्पना...''

नायपाल : बुद्धिजीवी लोगों को यही कर्तव्य करना है। और वह है मन का उपयोग करने का। बुद्धिजीवी लोगों को केवल अपने उदार विचार गाते रहना अथवा जो चल रहा है उसको गाली देना, पर्याप्त नहीं है। मन का उपयोग करने का मतलब है - इस विशाल भावनिक उत्थान के अयोग्य भागों को नकारना।

पाडगावकर : आप अयोध्या की घटना पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

नायपाल : जैसे अन्य लोगों ने किया ऐसे इस घटना को मैं निंदनीय नहीं मानता। जो लोग कहते हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था, वे एक मुद्दा भूलते हैं। आपको समझना चाहिये कि, बाबर को, जीते हुए देश के बारे में तिरस्कार था, तथा उसके लिये वहाँ मस्जिद बांधना यह कृति, देश का तिरस्कार करने की द्योतक थी।

टर्की (तुर्किस्तान) में सांता सोफिया का चर्च उन्होंने मस्जिद में परिवर्तित किया। निकोसिया में भी सभी चर्च मस्जिदों में परिवर्तित किये गये। स्पॅनिश लोगों ने अनेक शतकों तक संघर्ष कर के अपनी भूमि मुस्लिम आक्रमकों से फिर से जीत ली। इस प्रकार पहले ही अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएँ घटी हैं।

अयोध्या में पराजित लोग जिस स्थान को पवित्र मानते थे, उसी स्थान पर मस्जिद बनाना यह अपमान करने की घटना थी। वह प्राचीन श्रद्धा का अपमान था। दो या तीन सहस्र वर्ष पुरानी श्री राम पर की श्रद्धा का अपमान था।

पाडगावकर : जो लोग ढांचे गुंभज पर चढ़े थे तथा उनको तोड़ रहे थे, वे दाढ़ीवाले नहीं थे, और न ही उन्होंने भगवे वस्त्र पहने थे और न ही उनके ललाट पर भस्म लगा हुआ था। वे तरुण लोग थे, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे।

नायपाल : सब को उनकी चित्त की उत्कंठा समझनी चाहिये जो उनको कुंभज के ऊपर ले गये। जीन्स और टी शर्टस ये बाहरी आवरण थे। उनके चित्त की उत्कंठा यही केवल सत्य था। आप उसको नकार नहीं सकते। आपको इसका उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अब तक भारत में विचार ऊपर से आये हुए हैं। इसके पहले देश की स्थिति के बारे में मैंने कहा है। अभाव, कुचले जाने की वृत्ति, दबाव। बाद में आप जो बंगाल का जागृति युग देखते हैं। वह उन्नीसवीं शताब्दि के विचारकों के कारण आया। लेकिन यह सब ऊपर से आया था। अब जो हो रहा है, वह अलग है। अभियान अब नीचे से आया है।

पाडगावकर : मेरा सहकारी, व्यंग चित्रकार श्री आर. के. लक्ष्मण और मैने कुछ दिन पूर्व महाराष्ट- में हजारों मील का प्रवास किया। बहुत जगह, हमको देखने को मिला कि देवियों की मूर्तियों के नाक तथा वक्ष स्थल तोड़े गये थे। स्पष्ट था कि वह शत्रुओं के विजय प्राप्ति का चिन्ह था। हिंदुत्व की शक्तियाँ उसके तरफ भी निर्देश करके लोगों की भावनाएँ उद्दीपित करने के प्रयत्न करते थे। प्रश्न यह है कि ऐसी उद्दीपित भावनाओं को और फैलाने से नया तनाव निर्माण करने से कैसे रोका जाय?

नायपाल : मैं समझता हूँ। लेकिन उनको गालियाँ देना अथवा युरोप से आये हुए प्रचलित शब्द का उपयोग करना है तो फॅसिझम अर्थात हुकुमशाही इतनी ही पर्याप्त नहीं। भारत में एक महान ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। विद्वान लोगों ने उसको समझना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सरफिरे लोगों के हाथ में न जाय या फिर इसका उपयोग, भारत को बुद्धि प्रामाण्यवादी बनाने के लिये करना चाहिये।

हिंदू तथा मुस्लिम लोग, एक दूसरे की श्रद्धाओं को समझे बिना एकत्र रहे हैं।

साक्षात्कार : श्री राहुल सिंह से। दि टाइम्स ऑफ इंडिया, २३/१/१९९८.

प्रश्न : आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो साक्षात्कार दिया उसका अर्थ भाजपा ने ऐसा लगाया कि बाबरी ढांचा गिराने के लिये उन्हें समर्थन दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको गलत समझा गया?

उत्तर : मैंने उस समय जो कहा, यह कैसा गलत समझा गया यह मैं समझ सकता हूँ। मैं इतिहास के बारे में कह रहा था। मैं कह रहा था एक ऐतिहासिक घटना क्रम के बारे में। मैं सोचता हूँ कि भारत में एक महत्वपूर्ण विशाल घटना घटी जो सन १००० के आसपास शुरू हुई। मुस्लिम आक्रमण! उसका मतलब था वह आक्रमण होने तक जो पूर्णतः सांस्कृतिक, धार्मिक विश्व था, उसमें दरार पड़कर अंशतः नष्ट होना। मैं नहीं सोचता कि भारतीय लोगों ने उस नाश के साथ समझौता किया है। मैं नहीं समझता कि यथार्थ में क्या हुआ यह वे जानते है। वह अतीव कष्टप्रद था और मुझे लगता है कि यह भाजपा आंदोलन तथा वह मस्जिद प्रकरण वह उस इतिहास के नये बोध का भाग है। क्या हुआ इसके बारे में नई व्याख्या, नया अर्थ! हो सकता है कि वह गलत मार्ग दर्शन से हुआ हो। हो सकता है कि उसका उपयोग राजनीति में करना गलत हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह सब ऐतिहासिक घटनाक्रम था और उसको फॅसिस्ट जैसे सिर्फ गाली देना इसका अर्थ इतने लोगों के मन में इसका ऐसा उत्तर क्यों मिलता है, यह समझने में असफल होना है।

प्रश्न : यह जातीय, पूर्वाग्रह, दूषित, पक्षपाती विचार नहीं हैं क्या?

उत्तर : वह ऐसा हो सकता है और उसका मुकाबला करना है। लेकिन इसका मुकाबला तभी हो सकता है, जब दोनों पक्ष पूर्ण स्पष्टता से देश का इतिहास जानते हों। मैं नहीं समझता कि हिंदू लोग यह समझते हैं कि इस्लाम का अर्थ क्या है? तथा यह भी मैं नहीं समझता कि इस्लामी लोगों ने हिंदुत्व को समझने का प्रयत्न किया है। दो बहुत बड़े समाज इस महाद्वीप में एक दूसरे की श्रद्धाओं को न समझते हुए रहे हैं।

सत्य लेखों को प्रभावित करता है।

साक्षात्कार : श्री सदानंद मेनम

दि हिंदू : ५ जुलाई १९९८

प्रश्न : आप वस्तुतः इतिहास की मार्किस्ट-लेफ्टिस्ट विचारों की व्याख्याओं के जोरदार विरोधक हैं। उनकी व्याख्याओं में आपको कौनसा बड़ा दोष दिखता है?

उत्तर : कदाचित इतिहास की मार्क्सिस्ट व्याख्याओं के बारे में इतना नहीं, जितना मार्क्सिस्ट राजनीति के बारे में, जो निश्चित पूर्णतः अपराधी हैं। मनुष्य के बारे में इतना अनादर? मैं सोचता हूँ कि इतना पर्याप्त है, इतना दोषारोपण पर्याप्त है। मानवी प्राणियों के बारे में आदर का इतना अभाव?

प्रश्न : अच्छा! यह बात केवल मार्क्सिस्ट राजनीति का ही वैशिष्ट्य नहीं है। संघटित राजनीति के सब प्रकार, सब पक्ष, उसके व्यवहार में एक दूसरे को दोष देते हैं, तथा सब बदनाम हुए हैं। लेकिन इतिहास का विश्लेषण करने का एक माध्यम इस नाते मार्क्सिझम के बारे में आप क्या कहते हैं।

उत्तर : देखो सदानंद, मैं उस प्रकार जिया नहीं हूँ। मैंने कभी भी विविध सिद्धांतों को एकत्रित करना सोचा नहीं। मुझे लगता है कि हर एक का मुद्दा देश के लिये, संस्कृति के लिये तथा समय के लिये विशिष्ट तथा पृथक होता है। मेरे विचार में लोगों का प्राचीन, पौराणिक कथाएँ लेकर उन्हें अपने समय को लागू करना मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है कि प्राचीन कथा प्राचीन जगत से आती है। कभी कभी अनेक जगत महाकाव्य में एकत्र आते हैं और वह कथा आधुनिक जीवन को लागू करना यह विवेकहीन है। उसी प्रकार इतिहास की व्याख्याएँ एकत्र करने भी मुझे लगता है। जहाँ जो है उसका सामना करना अच्छा है। कोई भी समस्या जानने के पहले उसका उत्तर ना जानना ही अच्छा है। मार्क्सिस्ट सब प्रश्नों के उत्तर बहुत पहले ही जानते हैं। और वह तो कोई शास्त्र नहीं है। उसका संबंध मानवी प्राणियों से है।

प्रश्न : यहाँ के कुछ परोपजीवी हिंदू राजकीय पक्षों का प्रकटीकरण तथा एकत्रीकरण होने से आपको आनंद (यह शब्द कदाचित आप को गलत लगेगा) होने के संकेत, अभी मिलते समय, आपने दिये थे। ऐसे सिद्धांत को आप कैसे समर्थन करते हैं?

उत्तर : नहीं, वस्तुतः मैंने ऐसे किया नहीं है। मैंने इतिहास के बारे में बात की है। तथा मैंने इस अभियान के बारे में बात की है। मैंने यह तो कहा नहीं है कि यहाँ हिंदू धार्मिक शासन होना मुझे पसंद है। जो कुछ मैंने कहा है, वह इतना ही कि यहाँ इस्लाम बड़ी मात्रा में है। इसके लिये कुछ कारण हैं और उन्हें छिपाना हमारे लिये संभवनीय नहीं है। बड़े-बड़े आक्रमण दक्षिण तक फैले थे। म्हैसूर में भी पहुँचे थे। मुझे लगता है कि जब दसवीं शताब्दि के अथवा उससे भी पुराने हिंदू मंदिर कुरूप हुए, विद्रुप हुए देख लेते तो आप जानते हैं कि यह काम केवल मौज मस्ती के लिये

नहीं किया था। वहाँ कुछ भयंकर घटना घटी होगी। मुझे लगता है कि उस प्राचीन जगत की संस्कृति पर प्राणांतिक आघात उन आक्रमणकारियों ने किये थे, और लोगों ने इतिहास के तरफ अधिक आदरयुक्त भावनाएँ रखकर, उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिये। उनको भग्नावस्थे में रखने के बजाय उनको स्वस्थ तथा सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिये। प्राचीन संस्कृति नष्ट की गई है। उसका अर्थ समझना चाहिये। प्राचीन हिंदू भारत नष्ट किया था।

प्रश्न : भारतीय इतिहास में विविध विपत्तियों के कारण बहुत वस्तुएँ बदल गईं तथा बहुत वस्तु एक के ऊपर दूसरे ऐसी हो गयी। लेकिन इन सब घटनाओं का पूर्व लक्ष्यी विचार से 'ऐतिहासिक बदला' लेना समर्थनीय होगा क्या? वह टालना असंभव है क्या? आज आपको यहाँ क्या दिखता है?

उत्तर : नहीं, मैं ऐसा विचार नहीं करता। यदि लोगों ने इतिहास को समझा तो कुछ पराजय तथा लज्जा की सखोल भावनाएँ नष्ट नहीं की जा सकतीं, परंतु इस प्रकार का मलिन और हिंसक प्रदर्शन नहीं होता। जैसे भारत में लोग अधिक सुरक्षित होंगे। जैसे मध्यमवर्गीय तथा निम्न मध्यमवर्गीय लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वे लोग इस भावना को अधिक अधिक समझेंगे और इस भीषण पराभव से लोगों की भावनाएँ उत्तेजित होंगी। बेलूर तथा हले बिड मंदिर में जो मार्गदर्शक रहते हैं वे भक्तों को इन सब बातों की जानकारी देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि २० साल पहले मैं जब इन मंदिरों में गया था, तब मार्गदर्शक इन बातों को बताते थे। इस प्रकार नये लोग आते हैं तथा वे अपने ढंग से जगत के तरफ देखते ही इन बातों को मानने वाले न रहते हुए वे प्रश्न पूछने वाले होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमें यह चित्त की इस उत्कंठा को समझने का प्रयत्न करना चाहिये। निश्चित यह उत्कंठा अनुदान नहीं है। लोग अपने आपको समझने का प्रयत्न करते हैं। उनको नकारो मत। उनको गंभीरता से लो। उनसे बात करो

प्रश्न : लेव्हिन यह मनमौजी तथा स्वतंत्रता से धर्म तथा इतिहास की घटनाओं की मनमानी व्याख्या करने की प्रवृत्ति बढ़नेवाली है ऐसे आप सोचते नहीं क्या?

उत्तर : मैं सोचता हूँ कि यह प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी जब तक आप उन्हें दुष्ट, पापी लोग कहते रहेंगे तथा इस प्रवृत्ति को दुष्ट कहते रहेंगे, और यदि हमें संघर्ष - रेखा खींचना चाहते हैं, तब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप वे क्या कहते हैं समझने का प्रयत्न करेंगे तब सब परिस्थिति शांत होगी।

परिशिष्ट क्रमांक ३

न्यायिक निष्कर्षों का सारांश

(अ) भारत के स्वातंत्र्य पूर्व काल के

१) हिंदुओंने राम जन्मभूमि अर्थात मंदिर स्थान तथा उसके चारों ओर की जमीन पर न्यायपूर्ण अधिकार कभी भी छोड़ा नहीं।

२) ई.स. १८५९ में ब्रिटिश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि स्थान को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग बाबरी ढांचे का तथा दूसरा राम चबूतरा, सीता की रसोई तथा मंदिर के चारो ओर की संपूर्ण जमीन का। दूसरा भाग हिंदुओं को सौंपा गया। हिंदुओं ने वहाँ पूजा, भजन, कीर्तन शुरू किया तथा उन्हें लगातार जारी रखा।

३) ई.स. १८८५ में, महंत रघुवर दास ने फैजाबाद न्यायालय में, राम चबूतरा मंदिर के नूतनीकरण करने के लिये याचिका दायर की। याचिका नामंजूर की गयी। पुनर्विचार करने की प्रार्थना करने पर ब्रिटिश न्यायाधीश कर्नल एफ. ई. ए. कौमियार ने अपने निर्णय में लिखा कि हिंदुओं के साथ हुआ, वह बहुत ही बुरा हुआ था। हिंदुओं के अति पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन यह घटना ३५६ साल पुरानी है तथा उसे शुद्ध करने के लिये बहुत विलंब हुआ है।

४) ई.स. १९३४ में ढ़ांचे के गुंभजों को अयोध्या के संतो ने अल्प मात्रा में हानि पहुंचायी। इस घटना के बाद संपूर्ण स्थान पर मुस्लिम लोगों को प्रवेश नकारा गया।

(ब) भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चातः

१) महसूल विभाग की अभिलेखों में रामकोट (अथवा को रामचंदर) गांव के अभिलेख में, श्रीराम जन्मभूमि स्थान को ''जन्मस्थान'' ऐसे लिखा है।

२) २३ दिसंबर १९४९ को ढांचे के केंद्रीय गुंफज के नीचे, फर्श के मध्य में राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुयी। और अल्प समय में वहाँ हजारों रामभक्त एकत्र हुए। राम लल्ला के मूर्ति के सामने पूजा प्रारंभ हुई, और उसी समय से लगातार भजन, कीर्तन, पूजन करने की प्रथा शुरू हुई।

३) २९ दिसंबर १९४९, शहर मॅजिस्ट्रेट ने संपूर्ण जन्मभूमि स्थान पर अपना अधिकार कर लिया। तो भी पुजारियों ने राम लल्ला की पूजा करना जारी रखा।

४) १६ जनवरी १९५० श्री गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के दीवानी न्यायालय में राम लल्ला की पूजा करने का एकाधिकार प्राप्त करने के लिये अभियोग दायर किया तथा न्यायाधीश से प्रार्थना की कि वे, राम लल्ला की मूर्ति न हटाने के लिये आदेश दें। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करके राम लल्ला की मूर्ति अब है उसी स्थान से हटाने के लिये मनाई की गयी। ३ मार्च १९५१ को जिला दीवानी न्यायाधीश ने तथा बाद मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने वह निषेधाज्ञा कायम रखकर अपील खारिज किया। एक आनंददायक घटना देखी गयी कि अयोध्या के १३ मुस्लिम नागरिकों ने इस अभियोग की सुनवाई में, सेक्शन १४५ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के जरिये, प्रतिज्ञा पत्र दायर करके कहा कि वादग्रस्त ढांचा, श्रीराम जन्मभूमी मंदिर नष्ट करके, उसी स्थान पर बनवाया था। यदि यह स्थान हिंदुओं के पास रहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शहर मॅजिस्ट्रेट ने उनके ३० जुलाई १९५३ के आज्ञापत्र द्वारा मामला ''अब शांतता भंग होने की कोई संभावना नहीं है'' इस कारण से बंद किया।

५) ५ दिसंबर १९५० को परमहंस रामचंद्रजी ने भी बाबरी ढाचे में मूर्तियाँ रखने के लिये तथा पूजा जारी रखने के लिये अनुमति माँगने के लिये अभियोग दायर किया। ऑगस्त १९१० में न्याय पद्धति से घोर निराशा होने पर अभियोगी रामचंद्रजी ने वह वापस लिया।

६) एक मुस्लिम नागरिक ने ''जैसे थे'' आज्ञा के विरुद्ध (अर्थात राम जन्मभूमि स्थान में मुस्लिम लोगों को प्रवेश अस्वीकार करना तथा रामलल्ला के मूर्ति के सामने पूजा-भजन जारी रखने की आज्ञा) वह खारिज करने की प्रार्थना की। ३० अप्रैल १९५५ को मामला खारिज कर दिया गया।

७) सन १९४९ में बाबरी ढ़ांचे में रामलल्ला की मूर्ति प्रकट होने के बाद लिमिटेशन कानून के अनुसार ११ वर्ष, ११ महीने, २६ दिन की अवधि समाप्त होने जा ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के वफ्फ की सुन्नी सेंट-ल बोर्ड ने चौथा अभियोग दायर किया और श्रीराम जन्मस्थान मुस्लिमों को वापस करने की माँग की।

८) १६ दिसंबर १९६४ को फैजाबाद दीवानी न्यायाधीश ने सब अभियोगों की एक साथ सुनवाई शुरू की। विचाराधीन सब विषयों पर अभियोगियों का कहना सुनकर २१ अप्रैल १९६६ को अपना निर्णय सुनाया। अपने आज्ञा पत्र में न्यायाधीश कहते हैं कि ''हमारे सामने निर्णयार्थ जो अभियोग है, उनके संबंधित विशिष्ट वादग्रस्त जायदाद के संबंध में कोई भी न्याय सरकारी परिपत्रक हमारे पास नहीं है।'' यह निष्कर्ष अंतिम हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय ने वफ्फ बोर्ड का अभियोग दायर करने का अधिकार अमान्य किया है।

९) अप्रैल १९८४ में विश्व हिंदू परिषद ने नई दिल्ली में, प्रथम धर्म संसद का आयोजन किया

तथा श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ का आरंभ किया। उत्तर प्रदेश में राम-जानकी रथयात्रा का आयोजन करके राष्ट-व्यापी जागृति निर्माण करने तथा राम जन्म स्थान मुक्त करने के लिये, अब तक किये गये ७७ संघर्षों की जानकारी देने का प्रयत्न किया।

१०) २१ जनवरी १९८६ को श्री उमेशचंद्र पांडे ने फैजाबाद के मुंसिफ मॅजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग दायर कर के प्रार्थना की कि वे आदेश दें कि राम जन्मभूमि स्थान के द्वार पर लगे ताले खोल दिए जाएं। १ फरवरी १९८६ को जिला न्यायाधीश श्री. के. एम. पांडे ने आदेश दिए कि ताले दिये जाए, तथा उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वे रामलल्ला की पूजा भजन में कोई बाधा न डाले तथा वे किसी भी प्रकार से रुकावटें पैदा न करें।

११) १ फरवरी १९८६ को अयोध्या के एकच मुस्लिम नागरिक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक अभियोग दायर करके राम मंदिर स्थान के ताले खुलवाने के लिये विरोध प्रकट किया। सुन्नी वफ्फ बोर्ड ने भी उसी उद्देश्य से अभियोग दायर किया।

१२) जनवरी १९८९ में, तीसरी धर्म संसद का आयोजन प्रयाग में महाकुंभ में हुआ। उसमें ९ नवंबर १९८९ के दिन श्रीराम मंदिर का शिलान्यास करने का निर्णय हुआ।

१३) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री देवकीनंदन अगरवाल, रामलल्ला तथा राम जन्मभूमि के प्रतिनिधि और न्यायालय के मित्र इस नाते १ जुलाई १९८९ को राम जन्मभूमि मामले से जुड़ गये।

१४) १८ अक्टूबर १९८९ को सुन्नी वफ्फ बोर्ड ने अभियोग दायर कर के न्यायालय से प्रार्थना की कि, राम जन्मभूमि स्थान पर किसी को प्रवेश करने से मना करे तथा जन्मस्थान से २०० यार्ड में शिलान्यास करने को अनुज्ञान दी जाय। २३ अक्टूबर १९८९ को फुल बेंच ने वफ्फ बोर्ड की प्रार्थना नामंजूर की।

१५) मुस्लिम पक्षों ने, शिलान्यास कार्यक्रम रद्द करवाने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखे थे। उन्होंने और दो अभियोग / प्रार्थना पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये। २३ अक्टूबर १९८९ को सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही अभियोग खारिज किये और शिलान्यास का मार्ग निष्कंटक किया।

१६) १० अक्टूबर १९९१ तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने वादग्रस्त ढांचे के चारों ओर की २.७७ एकड़ जमीन, रामलल्ला के दर्शन के लिये आनेवाले रामभक्तों की सुविधा के लिये, खरीद ली।

इस समय मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में रिट पिटिशन, २५ अक्टूबर १९९१ को दायर किया। न्यायालय ने मामले से जुड़े हुए सब पक्षों की सुनने के पश्चात अंतरिम आदेश सुनाया कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा करने

का पूर्ण अधिकार है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वे ४ नवंबर १९९२ तक स्थायी निर्णय जारी करेंगे।

१८) ३० अक्टूबर १९९२ को पाचवीं धर्म संसद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। उन्होंने ६ दिसंबर १९९२ से कार सेवा शुरू करने का निर्णय लिया।

१९) ८ दिसंबर १९९२ की सुबह केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि का संपूर्ण स्थान अपने अधिकार में ले लिया। रामलल्ला की पूजा करना जारी रहा।

२०) ७ जनवरी १९९३ को भारत सरकार ने संसद की सम्मति से वादग्रस्त स्थान के चारों ओर की ६७ एकड़ भूमि, अपने अधिकार में ली। लेकिन मुस्लिम लोगों ने दुराग्रही भूमिका ली और कहा कि जिस जगह पर एक बार मस्जिद बनती है, वह जगह स्थायी रूप से मस्जिद की होती है। बाद में परिस्थिति में कोई भी नया बदल होने से भी उसमें फरक नहीं पड़ता।

२१) ७ जनवरी १९९३ को, भारत के राष्ट-पति महोदय ने लोकसभा के नियम १४३ (१) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को विषय वस्तु पर उनका अभिप्राय देने की विनती की तथा उनको यह अन्वेक्षण करने के लिये कहा कि वादग्रस्त ढांचा बनने के पहले वहाँ हिंदुओं का कोई प्रार्थना स्थल था क्या? और यह ढांचा प्रार्थना स्थान पर बनाया गया था क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट-पति की विनती मानने के लिये नकार दिया।

२२) २१ महीने की कार्यवाही / सुनवाई के बाद २४ अक्टूबर १९९४ को सर्वोच्च न्यायालय ने उनका बहुमत का निर्णय सुनाया। नियम ४ (३) के जरिये सरकार की कार्रवाई को ठीक बताया और मामला उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के पास वापस भेज दिया। मुस्लिम प्रतिनिधियों का दावा कि एक बार मस्जिद बन गई कि वह सर्व काल मस्जिद रहती है, सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि ढांचे के मध्य गुंभज के नीचे रामलल्ला की हो रही पूजा जारी रहेगी और यह स्थिति बदलने के लिये कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये। मुस्लिम प्रतिनिधियों का दावा खारिज करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने लाहोर उच्च न्यायालय के तथा प्रीव्ही कौन्सिल के निर्णयों का उल्लेख किया था।

सद्यःस्थिति - उच्च न्यायालय में सुन्नी बोर्ड तथा निर्मोही अखाड़ा उनके गवाहों के प्रतिज्ञा पत्र लेने का काम जारी है। सन १९६६ से मुस्लिम पक्ष के १०३ गवाहों में से १६ गवाहों के प्रतिज्ञा पत्र लेने का काम पूर्ण हुआ है। हिंदू पक्ष के परमहंस रामचंद्रजी ने अपना प्रतिज्ञा पत्र दिया है। हिंदू पक्ष के १०० गवाहों के प्रतिज्ञापत्र लेने का काम पूर्ण हुआ है।

परिशिष्ट क्रमांक ४

श्री रामजन्मभूमी के बारे में बारबार पुछे जानेवाले प्रश्न -

श्री रामजन्मभूमी आंदोलन का पक्ष कुछ इस तरह रखा जा सकता है।

१. यहाँ एक ईंट अथवा एक स्तंभ का मुद्दा नहीं है, ना तो केवल एक मंदिर का प्रश्न है। एक मंदिर कम अथवा अधिक हो जाने से रामभक्तो को भक्ति करने का कम अथवा अधिक अवसर मिलेगा यह बात भी नहीं है। यह अपनी संस्कृति एवं राष्ट-ीयता से जुडा हुआ मुद्दा है।

२. जहाँ बाबरी ढांचा खडा था वह भगवान रामचंद्र जी का जन्मस्थान है, ऐसी हिंदुओं की मान्यता है। यह मान्यता ३००० सालों से भी अधिक काल से परंपरा से चलती आई है। इस स्थान पर जो पुरातत्त्वीय अनुसंधान हुआ है उस से यह बात स्थापित हो जाती है। यह दीर्घकालिन श्रद्धा वास्तविक बात है।

३. अगर भगवान रामचंद्र जी का जन्मस्थान अन्य किसी स्थान पर होता तो इस स्थान को पवित्र मानने की हिंदुओं को कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसापूर्व १००० के हिंदुओं ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि सोलहवी शताब्दि में यह स्थान पर आक्रमण से ध्वस्त हो जाएगा।

४. ईसवी सन १५२८ में इस स्थान पर खडा राममंदिर यहाँ पर बाबरी ढांचा खडा करने हेतु जानबूझकर ध्वस्त किया गया था। इस के पीछे कोई भी धार्मिक हेतू ना होकर केवल राजनीतिक हेतु था। पूरी तरह से आक्रामक उद्देश्य इस के पीछे था। आक्रमणकर्ता यह एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है और वह हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों पर भी हावी हो सकता है।

५. श्री रामजन्मभूमी स्थान पर खडा मंदिर ध्वस्त होने को ५० साल पूरे होने के भीतर ही हिंदुओं ने दूसरा अच्छा विकल्प ढूँढ कर बाबरी ढांचे के बाडे के अंदर ही राम चबुतरा का निर्माण किया। इस स्थान पर अपना अधिकार दर्शाने का दावा जिवित रखने हेतु ही ऐसा किया गया था। राम चबुतरा पर पूजन का विधान निरंतर रूप से चलता आया है। अब जहाँ पर रामलला विराजमान है वहाँ पूजन किया जाता है।

६. इस स्थान को पुनश्च प्राप्त करने हेतु हिंदू निरंतर प्रयासरत रहे है। इसलिए उन्होंने संघर्ष भी किया है। सन १८८५ में ब्रिटिश शासन काल में न्यायाधीश ने यह स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है, इस कथन को स्वीकृती दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह स्थान प्राप्त करने हेतु हिंदुओं ने न्यायालयीन संघर्ष निरंतर रूप से किया है।

७. चंद्रशेखर सरकार के शासनकाल में दिसंबर १९९१ में इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा के माध्यम से हल ढूँढने का प्रधान प्रयास हुआ। वहाँ का राममंदिर इ.स. १५२८ में ध्वस्त किया गया था और हिंदुओं की धर्मश्रद्धा एवं परंपरा को स्थापित करने हेतु पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सरकारी दफ्तर में रखा गया भूमी का कर विवरण आदी जानकारी एवं तथ्य हिंदुओं ने प्रस्तुत किए

थे।

८. यह सारे प्रयास मुस्लिम दमनकारी नेताओं के कारण उतने निष्फल हुए, जितने अपने कंधे पर सेक्युलरिज्म का फीता बांधकर घूमनेवाले तथाकथित बुद्धिवादियों के कारण निष्फल हुए हैं।

९. केवल यह स्थान हिंदुओं को वापस सौंपा जाने की मांग को लेकर नहीं बल्कि इस स्थान के बारे में हिंदुओं के मन में जो पवित्र भावना है उसके कारण और १५२८ में यहाँ का मंदिर ध्वस्त किए जाने के कारण ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है। वोट बैंक की राजनीति खेले जाने के कारण इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है।

१०. विश्व भर में फैले हिंदू तथा अन्य लोगों के लिए भी भगवान श्री राम मर्यादापुरुषोत्तम अर्थात एक आदर्श व्यक्ति हैं। जिस स्थान उनका जन्म हुआ था यह सिद्ध हो गया है उस स्थान पर उनका उचित स्मारक खडा करना सर्वथैव उचित बात है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर ना केवल उनकी स्मृति मिट जाएगी बल्कि आनेवाली पिढी उचित प्रेरणा देनेवाले स्थान से भी वंचित हो जाएगी।

ग्रंथ सूची

१) एल्स्ट कोएन राड, राम जन्मभूमि विरुद्ध बाबरी मस्जिद, बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९०.

२) एल्स्ट कोएन राड, अयोध्या ॲण्ड आफ्टर, बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९३.

३) एल्स्ट कोएन राड, निगेशनिझम इन इंडिया, कन्सीलिंग दि रेकॉर्ड ऑफ इस्लाम, व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९३.

४) दासगुप्ता स्वपन/जोशी एन. राम/एल्स्ट कोएनराड/शौरी अरुण, दि अयोध्या रेफरन्स, (सुप्रिम कोर्ट जज्मेंट ॲण्ड कॉमेंटरीज), बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९५

५) बजाज जितेंद्र, अयोध्या अँड दि फ्यूचर इंडिया, बाय सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, मद्रास, १९९३.

६) दुभाषी जय, दि रोड टू अयोध्या, बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९२.

७) नाथ आर. आर्किटेक्चर ऑफ दि बाबरी मस्जिद ऑन अयोध्या, बाय दि हिस्टॉरिकल रिसर्च डॉक्युमेंटेशन प्रोग्राम, १९९१.

८) शर्मा वाय. डी./श्रीवास्तव के. एम, राम जन्मभूमि अयोध्या (न्यू आर्किऑ-लॉजिकल डिस्कव्हरीज), पब्लिश्ड बाय के. एस. लाल, प्रे सिडेंट ऑफ दि हिस्टोरियन फोरम.

९) मिश्रा विनयचंद्र, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद (हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स, लीगल ओपीनियन्स अँड, जजमेंट्स), बाय बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ट-स्ट १९९१.

१०) अग्गरवाल जे. सी./चौधरी एन. के., राम जन्मभूमि थ्रू दि एजेस, बाय एस. चंद ॲण्ड कंपनी लि., १९९१.

११) शौरी अरुण, इंडियन कॉट-व्हर्सीज, बाय ए एस ए, १९९३,
शौरी अरुण, ए सेक्युलर अजेंडा, बाय ए एस ए, १९९३.

१२) आडवाणी लालकृष्ण, राम जन्मभूमि (हिंदी), पब्लिश्ड बाय बीजेपी सेंट-ल ऑफिस.

१३) श्रीवास्तव रामशरण, एक दृष्टिकोण राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद (हिंदी), बाय केअर फ्री प्रिंटर, १९९७.

१४) शौरी अरुण, नरेन हर्ष, दुबाशी जय, हिंदु टेंपल्स व्हॉट हॅपण्ड टु देम, व्हॉल्यूम १ ॲण्ड २, बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९२.

१५) दासगुप्ता स्वपन, जॉइस एम. राम, जेटली अरुण, दि अयोध्या रेफरन्स (सुप्रिम कोर्ट जज्मेंटस अँड कॉमेंटस), बाय व्हॉइस ऑफ इंडिया, १९९२.

१६) ''अरे भाई मस्जिद है ही कहाँ?'' बाय अरुण शौरी, इंडियन एक्स्प्रेस, अक्टूबर २५,१९९० http://hvk.org/specialreports/ram_new/ram1.html

१७) ''राम ओव्हर बाबर : इज नरसिंहराव प्रिपेअरिंग टु डू ए डील विथ मिलिटंट हिंदूज'' बाय आदिति फडणीस, दि संडे, ऑक्टूबर, १०,१९९२. http://hvk.org/specialreports/ram_new/ram2.html

१८) हिस्ट-ी अँड पॉलिटिक्स ऑफ राम जन्मभूमि, बाय अशोक चौगुले http://hvk.org/specialreports/ram_new/ram3.html

१९) इज रामजन्म भूमि मुव्हमेंट अँटी मुस्लिम? बाय अशोक चौगुले, महानगर विश्व हिंदु परिषद, नोव्हेंबर २१,१९९६ http://hvk.org/specialreports/ram_new/ram4.html

२०) इट शुड हॅव्ह बाय नाऊ बिकम क्लिअर दॅट ए मॉस्क कुड नॉट कमअप ॲट अयोध्या, (इंटरव्ह्यू - चो एस रामस्वामी), रेडिफ ऑन नेट, डिसेंबर २३,१९९९. http://hvk.org/specialreports/ram_new/ram5.html

हिंदू विवेक केंद्र
पहिली मंजिल, यशवंत भवन, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
दिपक सिनेमा के पिछे, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३.